नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश– 174030 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024

भाग–एक

1. प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–**IV**, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्न पदाधिकारी प्रधान व सचिव के पद पर कार्यरत रहेः–

(i) प्रधान

क्र0सं0	**नाम**	**तैनाती की अवधि**
1	श्रीमती वन्दना कुमारी	01.04.2023 से 31.03.2024

(ii) सचिव एवँ आहरण संवितरण अधिकारी

1	श्री खेम चन्द वर्मा	01.04.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

नगर पंचायत तलाई के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लेखों के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	**गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**पैरा सं.**	**राशि (₹) लाखों मे**
1	विभिन्न परियोजनाओं की अनुदान की राशि का अव्ययित शेष ।	9.2	142.14
2	दिनांक 1.4.2023 से पूर्व प्राप्त अनुदानों का कई वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता।	9.3	79.95
3	विविध संसाधानों से आय वसूली हेतु शेष।	13.1,	27.02

4	दिनाँक 01.04.2023 को सम्पत्तिकर का आरम्भिक शेष कम अग्रेषित करना।	13.2	0.39
5	पैन्शन धारकों को महँगाई राहत का अधिक भुगतान।	16.1	0.37
6	पैन्शन व ग्रैच्युटि निधि नियोक्ता अंशदान में अधिक अन्तरण।	16.2	2.64
7	निर्माण कार्य बिल में अनियमित भुगतान।	17.2	0.19
8	कार्य निष्पादन में देरी होने पर भी संविदाकार से क्षतिपूर्ति राशि की कटौती न करना।	17.3	1.98
9	निर्माण कार्य निष्पादन में सक्षम प्राधिकारी की संशोधित प्रशासनिक तथा व्यय स्वीकृति के बिना किया गया अनियमित भुगतान	17.5	6.13

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

नगर पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर अनुपालना हेतु अंकेक्षण पूर्व ही अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–256 दिनांकः 03/10/2024 द्वारा सचिव से अनुरोध किया गया था। दिनाँक 31.03.2023 को अवधि 04/1993 से लेकर 03/2023 तक के कुल 88 अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों में से निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा 49 अनुच्छेद निर्णीत किये जाने के पश्चात शेष बचे 39 अनुच्छेदों पर अपेक्षित अनुपालना का सत्यापन वर्तमान अंकेक्षण में करवाया जाना था। ***इनमें से वर्तमान अंकेक्षण में अनुपालना के सत्यापन उपरान्त 26 अनुच्छेद निर्णीत किये गये।*** परन्तु अभी भी उपरोक्त अवधि के लिये 13 अनुच्छेद अनिर्णीत हैं। इनके साथ–साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। इस अंकेक्षण में निर्णीत किये गये गत प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों पर की गई अनुपालना तथा शेष बचे अनिर्णीत अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत तलाई के लेखों अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक का अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा अवधि 22.10.2024 से 26.11.2024 तक नगर

पंचायत कार्यालय में सम्पन्न किया गया। आय व व्यय की नमूना अंकेक्षण जाँच हेतु मास चयन निम्न प्रकार से किया गया था। चयनित अभिलेख के अतिरिक्त भी समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

क्र• सं•	रोकड़ बही	आय हेतु मास चयन	व्यय हेतु मास चयन
1	सामान्य रोकड़ बही	03/2024	05/2023
2	पैन्शन निधि	01/2024	11/2023
3	ग्रैच्युटी निधि	10/2023	10/2023

अस्वीकरण (Disclaimer): "यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव, नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है।"

3. अंकेक्षण शुल्क

नगर पंचायत के लेखों अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क संस्थापना व्यय के आधार पर ₹23000/– आंका गया है। सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–291 दिनांकः 19/11/2024 द्वारा सचिव, नगर पंचायत तलाई से अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला–171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से यथाशीघ्र प्रेषित करने के आग्रह के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क का भुगतान मल्टीसिटी चैक संख्या 541663 दिनाँक 21.11.2024 द्वारा कर दिया गया था।

4. वित्तीय विवरणियाँ

नगर परिषद् अधिनियम–1994 के अन्तर्गत तथा नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियाँ तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण में निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियाँ अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–256 दिनांकः 03/10/2024 द्वारा

अनुरोध करने पर प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई वित्तीय विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	**वित्तीय विवरणी**	**प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई**
1	बैलेन्स शीट (Balance Sheet)	प्रस्तुत की गई
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)	प्रस्तुत की गई
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	प्रस्तुत नहीं की गई
4	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Accounts)	प्रस्तुत की गई
5	लेखों पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	प्रस्तुत की गई
6	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator)	प्रस्तुत नहीं की गई

5. दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System for Accounting) को लागू न करना

निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्याः UD-H(C)-15-49/2003-III/3332-3379 दिनांक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III/9337-9385 दिनांक 07.09.2009 एवं UD-H(C)-15-49/2003-IV/5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गये थे कि लेखा खातों का अनुरक्षण दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) के आधार पर किया जाये। परन्तु नगर पंचायत तलाई के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखा खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि इन निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना करते हुये लेखा खातों का अनुरक्षण एकल लेखा पद्धति (Single Entry System) के आधार पर ही किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः निदेशक शहरी विकास विभाग के उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर लेखों का अनुरक्षण दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) से करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6. नगर पंचायत के तुलन पत्र पर अंकेक्षण टिप्पणियाँ

निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0 के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt. 25.03.2009, समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2009 व 19.07.2010 व पन्द्रहवाँ वित्तायोग के प्रावधानों की अनुपालना में नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2023–24 के लेखों के तुलन पत्र (Balance Sheet) **(परिशिष्ट "2")** के अवलोकन पर पाया गया कि इनमें दर्ज आंकड़े वर्तमान अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई वित्तीय विवरणियों के आँकड़ों से भिन्न हैं। इस भिन्नता का विवरण निम्नानुसार है:–

मद	अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत वित्तीय विवरणियों के आँकड़े (₹)	तुलन पत्र में दर्ज आँकड़े (₹)	अन्तर (₹)
स्वः स्त्रोतों से आय	4587522	4420260	(+) **167262**
स्वः स्त्रोतों से व्यय	8665272	8165936	(+) **499336**
ब्याज से आय	1212040	1212040	**0**
अनुदान से आय	18317957	17269621	(+) **1048336**
अनुदान से व्यय	24149230	23428337	(+) **720893**
कुल आय	24117519	24925973	(–) **808454**
कुल व्यय	32814502	31501841	(+) **1312661**

उपरोक्त तुलना में वर्तमान अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत वित्तीय स्थिति तथा प्रमाणित तुलन पत्र के आँकड़ों में पाये गये अन्तर के कारण वर्ष 2023–24 का तुलन–पत्र पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है तथा नगर पंचायत के आय, व्यय, सम्पत्ति एवं देयताओं की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता है। अतः इस सम्बन्ध में यथोचित स्पष्टीकरण सहित इस अन्तर के बारे में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2023–24 के लेखों का हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रमाणनः–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग ऑडिट कोड, 2022 के नियम 10.1 तथा 10.5 की अनुपालना में नगर पंचायत तलाई के वर्ष 2023–24 के लेखों को निम्नानुसार सशर्त प्रमाणित किया जाता है:–

Final Accounts of Nagar Panchayat Talai, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh Certificate of the Assistant Controller (Audit),

(i) I have audited the attached Annual Final Accounts i.e. Balance Sheet, Income & Expenditure Account with supporting forms, of the Nagar Panchayat Talai, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh for the year 2023-24 as per the provisions of amendment to the Section 255(1) of Himachal Pradesh Municipal Council Act 1994 on the recommendation of 11th Finance Commission and the Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh office Notification No. 1-376/81-Fin(LA) Vol.-IV dated 16-10-2008. Preparation of these accounts is the responsibility of the ULB's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my audit.

(ii) I have conducted my audit in accordance with the auditing standards and guidelines issued by the Director, Himachal Pradesh State Audit Department. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on the test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

(iii) On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of test audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that,

"Except for the matters described in the basis for the qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Final Accounts i.e. Balance Sheet, Income & Expenditure Account with supporting forms give a true and fair view of the state of affair of the Nagar Panchayat Talai, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh for the year 2023-24".

8. वित्तीय स्थिति

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–256 दिनांकः 03/10/2024 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "3 से 11"** पर

उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की **वित्तीय स्थिति तथा बैंक समाधान विवरणियां** आगामी उप अनुच्छेदों में वर्णित हैं:—

(8.1) मुख्य रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट—3)

शीर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
			वित्त वर्ष 2023—24			
स्वःस्त्रोत	16467503	4587522	1212040	22267065	8665272	13601793
अनुदान	20045416	18317957	0	38363373	24149230	14214143
कुल	**36512919**	**22905479**	**1212040**	**60630438**	**32814502**	**27815936**

(8.2) दिनांक 31.03.2024 को नगर पंचायत की मुख्य रोकड़ बही अनुसार बैंक बचत खातों में उपलब्ध निधि का विवरण (परिशिष्ट—4)

	बैंक	खाता संख्या	राशि (₹)
1	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710104001	1666227
2	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710104023	34566
3	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710104003	32209
4	भारतीय स्टेट बैंक तलाई	11513219768	13019
5	भारतीय स्टेट बैंक तलाई	11513219791	177829
6	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710112162	1974156
7	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710112163	2499318
8	हि. प्र. ग्रामीण बैंक तलाई	88850100007023	14967
9	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710111251	363315
10	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710111252	41910
11	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710111253	0
12	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11720100129	0
13	एच. डी. एफ. सी. बैंक बड़सर	50100227522512	587921

14	कैनरा बैंक तलाई	5066 101001193	4841
15	हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई	11710111300	281558
16	एच. डी. एफ. सी. बैंक झण्डुता	50100642425831	1740672
17	**(क) बचत खातों का कुल योग**		**9432508**
18	**(ख) निवेश खातों का कुल योग (परिशिष्ट–5)**		**18980000**
19	**(ग) हस्तगत राशि**		**32450**
20	**नगर पंचायत के पास दिनांक 31.03.2024 को कुल निधि (क+ख)**		**28444958**

(8.3) मुख्य रोकड़ बही की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट "6")

रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष	**27815936**
(+) जमा:— दिनांक 31.03.2024 तक के आर. टी. जी. एस. भुगतान जो क्लीयर नहीं हुये थे:— 1. सुरेश कुमार को दिनांक 30.03.2024 का निर्माण कार्य बिल भुगतान ₹569159 2. हिमाचल दस्तक समाचार पत्र को दिनांक 30.03.2024 का भुगतान ₹8500 3. पृथ्वी लोक समाचार पत्र को दिनांक 30.03.2024 का भुगतान ₹2000 4. हि.प्र. विद्युत परिषद् को दिनांक 30.03.2024 का बिजली बिल भुगतान ₹21805 5. संविदाकारों से स्त्रोत पर आयकर कटौती का दिनांक 7 तथा 30.03.2024 का भुगतान ₹7161 6. संविदाकारों से लेबर सैस कटौती का दिनांक 7 तथा 30.03.2024 का भुगतान ₹7161 7. संविदाकारों से जीएसटी कटौती का दिनांक 30.03.2024 का भुगतान ₹13236	629022
उपरोक्त जमा के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष	**28444958**
गत उप–अनुच्छेद 5.1.2 के अनुसार नगर पंचायत के पास दिनांक 31.03.2024 को उपलब्ध कुल निधि	**28444958**
अन्तर	**शून्य**

(8.4) पैन्शन निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–7)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अंशदान व बैंक ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2023–24	60019	1359906	1419925	1270957	148968

(8.5) दिनांक 31.03.2024 को पैन्शन निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–8)

विवरण	राशि (₹)
हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई बचत खाता संख्या 11710104024	149968
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2024 का अन्तशेष	148968
अन्तर	शून्य

(8.6) ग्रैच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–9)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अंशदान व बैंक ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2023–24	1184905	629132	1814037	185472	1628565

(8.7) दिनांक 31.03.2024 को ग्रैच्युटी निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–10)

विवरण	राशि (₹)
हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई बचत खाता संख्या 11710104025	591401
हि. प्र. रा. सह. बैंक तलाई सावधि निवेश खाता संख्या 11730302786 (परिशिष्ट–11)	1037164
ग्रैच्यूटि निधि के बैंक जमा का कुल योग	1628565
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2024 का अन्तशेष	1628565
अन्तर	शून्य

(8.8) चैक रजिस्टर का अनुरक्षण न करना:–

नगर पंचायत के अंकेक्षण मे पाया गया है कि चैक रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इस पारदर्शिता के अभाव में अवधि 04/2023 से 03/2024 के बीच किये गये व्यय तथा उसके भुगतान की जाँच में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हुई। अतः इस त्रुटि बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार करते हुये चैक रजिस्टर का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाये।

(8.9) अनावश्यक रूप से 16 बैंक बचत खातों का संचालन करना:–

परिशिष्ट "4" में दिये विवरणानुसार नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 को 16 बैंक बचत खातों का संचालन किया जा रहा था। अंकेक्षणावधि में इन खातों की लेन–देन विवरणियों के अवलोकन पर पाया गया है कि लगभग 7 खातों में नाममात्र का ही लेन–देन किया गया था जबकि दो खातों को तो शून्य राशि के साथ खुलवाये जाने के पश्चात उनमें कभी भी कोई लेन–देन नहीं किया गया था। यह स्पष्ट करता है कि नगर पंचायत को इन खातों की कोई आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से इन खातों के संचालन का स्पष्टतयः कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा इसके कारण रोकड़ बही अनुरक्षण तथा बैंक समाधान विवरण तैयार करने में अधिक त्रुटियों की संभावना भी बनी रहती है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–284 दिनांकः 14/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इन बचत खातों को जारी रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को बन्द करके जमा पड़ी अनुपयुक्त राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. अनुदान

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–256 दिनांकः 03/10/2024 के सन्दर्भ में **"परिशिष्ट–12 से 13"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 04/2023 से 03/2024 प्राप्त तथा व्यय किये गये अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

(9.1) सामान्य रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–12)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2023–24	20045416	18317957	38363373	24149230	14214143

(9.2) विभिन्न परियोजनाओं की अनुदान की ₹142.14 लाख राशि का अव्ययित शेषः–

परिशिष्ट "13" पर संलग्न विस्तृत विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि दिनांक 31.03.2024 को कुल अव्ययित ₹1,42,14,143/– की अनुदान राशि में से ₹79,95,285/– दिनांक 01.04.2023 से पूर्व तथा ₹62,18,858/– वर्ष 2023–24 में प्राप्त हुये थे। अतः इस अव्ययित अनुदान राशि का समयबद्ध तरीके से निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाए।

(9.3) दिनांक 1.4.2023 से पूर्व प्राप्त ₹79.95 लाख के अनुदानों का कई वर्ष पश्चात भी उपयोग करने में विफलताः–

दिनांक 01.04.2023 से पूर्व विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान राशियों में से निम्न तालिका में संकलित विवरण अनुसार ₹79,95,285/– की अनुदान राशियाँ ऐसी हैं जिनको एक से ग्यारह वर्ष तक का समय बीत जाने पर भी व्यय नहीं किया गया था। (**परिशिष्ट "12"**)

क्रम संख्या	अनुदान मद	वर्ष जिसमें अनुदान प्राप्त हुआ था	अवधि जितने समय अनुदान व्यय नहीं किया गया है	व्यय हेतु शेष अनुदान राशि (₹)
1	केन्द्रीय वित्तायोग टाईड अनुदान	2022–23	1 वर्ष से अधिक	1779053
2	जिलाधीश के माध्यम से प्राप्त	2022–23	1 वर्ष से अधिक	56290
3	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	2022–23	1 वर्ष से अधिक	1500000

4	13वाँ वित्तायोग पार्किंग हेतु विशेष अनुदान	2012–13	11 वर्ष से अधिक	943800
5	13वाँ वित्तायोग ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु विशेष अनुदान	2012–13	11 वर्ष से अधिक	3716142
	कुल योग			**₹7995285**

उपरोक्त विफलता के कारण जहां अनुदान निधि का अनावश्यक अवरोधन हुआ है वहीं लाभार्थी नागरिकों को भी प्राप्त होने वाले विकासात्मक लाभों से वंचित होना पड़ा है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है।

(9.4) ₹241.49 लाख के अनुदान व्यय के पश्चात भी वर्ष 2023–24 में कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित वित्तपोषक संस्थाओं को प्रेषित न करना:–

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "12"** के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक कुल **₹2,41,49,230/–** का व्यय प्राप्त अनुदानों में से दर्शाया गया है परन्तु इस अवधि में, उक्त **परिशिष्ट के अन्तिम कॉलम अनुसार,** किसी भी व्यय के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित वित्तपोषक संस्थाओं को प्रेषित नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित करने के साथ–साथ इनकी सत्यापना भी आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाएं।

(9.5) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना:–

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था। इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अंकेक्षण में सत्यापन नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए।

अनुदानों के सन्दर्भ में पाई गई उपरोक्त सभी अनियमितताओं के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–284 दिनांकः 14/11/2024

द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत अपनी कार्य प्रणाली को और सुदृढ़ करते हुए प्राप्त अनुदानों का निर्धारित उद्देश्य हेतु उचित समय के अन्दर उपयोग करना सुनिश्चित करे ताकि लाभार्थी जनता को योजनाओं का समय पर लाभ प्राप्त हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. निवेश

(10.1) नगर पंचायत निधियों से किये गये निवेश का विवरण

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–256 दिनांकः 03/10/2024 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "5"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को नगर पंचायत की निधियों से सावधि जमा योजना में निवेशित **₹1,89,80,000/– की** राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**31.03.2024 को निवेशित राशि (₹)**
1	भारतीय स्टेट बैंक तलाई	33794899790	8980000
2	हि•प्र•रा•सह• बैंक तलाई	11730303700	10000000
	कुल निवेश		**₹18980000**

(10.2) ग्रैच्यूटी निधि से किये गये निवेश का विवरण

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–256 दिनांकः 03/10/2024 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "11"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को ग्रैच्यूटी निधि से सावधि जमा योजना में निवेशित **₹10,37,164/– की** राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**31.03.2024 को निवेशित राशि (₹)**
1	हि•प्र•रा•सह• बैंक तलाई	11730302786	1037164
	कुल निवेश		**₹1037164**

इन निवेशों को परिपक्वता पर यथासमय भुनाया अथवा पुनर्निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. नगर पंचायत के वर्ष 2023–24 के बजट के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–256 दिनांकः 03/10/2024 के सन्दर्भ में निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा अनुमोदित वर्ष 2023–24 के बजट की उपलब्ध करवाई गई प्रति के अवलोकन पश्चात निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं:–

(11.1) बजट में प्रस्तावित तथा वास्तविक आय–व्यय की तुलना

आय व्यय का शीर्ष	वर्ष 2023–24
आय	
स्वः–स्त्रोतों से प्रस्तावित आय	4034000
स्वः–स्त्रोतों से वास्तविक आय	5799562
अन्तर	**1765562 (43.77% अधिक्य)**
अनुदानों से प्रस्तावित आय	30300000
अनुदानों से वास्तविक आय	18317957
अन्तर	**11982043 (39.55% कमी)**
व्यय	
कुल प्रस्तावित व्यय	49791000
कुल वास्तविक व्यय	32814502
अन्तर	**16976498 (34.10% कमी)**

(11.2) अनुमोदन

नगर पंचायत के बजट का अनुमोदन निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 के लिये कार्यालय पत्र संख्याः UD-H(C)(1)-2/2018- 16168-69 दिनाँक 01.09.2023 द्वारा किया गया है।

(11.3) बजट प्राक्कलन पाँच माह के विलम्ब से अनुमोदित करवाना

हिमाचल प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम 1994 के नियम 249(1 व 2) में प्रावधित है कि नगर पंचायत का बजट प्राक्कलन एक फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच की अवधि में सदन के पटल पर रखे जाने के पश्चात् जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। इसी प्रकार नियम 249(5) में प्रावधित है कि यदि नगर पंचायत सदन उपरोक्त वर्णित तिथियों के बीच बजट प्रस्तावों को अपनी सहमती नहीं देता है तो सचिव सदन की सहमती के बिना ही जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक को प्रेषित करेगा। वर्ष 2023–24 के बजट की अनुमोदित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से यह पत्र संख्या: BLS-LFA-1(3)/88-35842-दिनाँक 07.08.2023 द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रस्तुत किये जाने पर गत उप–अनुच्छेद 11.2 में दिये विवरणानुसार पाँच माह के विलम्ब से अनुमोदत किया गया। इससे स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन तैयार करने में कितनी उदासीनता, निरूत्साह तथा विलम्ब दिखाया गया है। इतनी देरी से बजट अनुमोदित करवाने से यह सारी प्रक्रिया ही निरर्थक हो जाती है।

(11.4) बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता

गत उप–अनुच्छेद (11.1) में वर्णित प्रस्तावित बजट अनुमान तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति के आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वःस्त्रोतों की आय जोकि अनुमान से अधिक है के अपवाद के अतिरिक्त अन्य सभी प्रस्तावित बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने से नगर पंचायत बहुत दूर है। वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि

1. ***नगर पंचायत द्वारा या तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु गम्भीर प्रयत्न नहीं किये गये; अथवा***
2. ***प्रस्तावित लक्ष्य ही अव्यवहारिक निर्धारित किये गये; अथवा***
3. ***अकर्मण्यता व निष्क्रियता के कारण नगरवासियों को अपेक्षित सुविधाएँ देने में विफलता रही।***

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणियों से स्पष्ट है कि नगर पंचायत तलाई द्वारा बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य को मात्र एक उपहास की तरह लिया जाता है तथा इसके महत्व को लेकर किसी प्रकार की गम्भीरता का भाव नहीं है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुये भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12. नगर पंचायत की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण

नगर पंचायत की गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय वर्ष	आय (स्वः स्त्रोत+अनुदान+ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2020–21	21962040	16875930
2021–22	21692891	18337366
2022–23	23343877	34203253

13. आय के अंकेक्षण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ

नगर पंचायत द्वारा अवधि 04/2023 से 03/2024 में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताओं को निम्नानुसार वर्णित किया गया है:–

(13.1) विविध संसाधानों से ₹27.02 लाख की आय वसूली हेतु शेष

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–256 दिनांकः 03/10/2024 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2024 को निम्न तालिका अनुसार संक्षिप्त रूप में संकलित विविध संसाधनों से **₹27,02,364/–** की आय वसूली हेतु शेष थी। इस वसूली का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "14 से 16"** पर उपलब्ध है।

क्रम संख्या	आय की मद	परिशिष्ट संख्या	दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	सम्पत्ति कर	**परिशिष्ट "14"**	2584281
2	दुकानों का किराया	**परिशिष्ट "15"**	33708
3	मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क	**परिशिष्ट "16"**	84375
	कुल योगः		**2702364**

(13.2) दिनाँक 01.04.2023 को सम्पत्तिकर का आरम्भिक शेष ₹0.39 लाख की राशि से कम अग्रेषित करना

नगर पंचायत के अवधि 04/2023 से 03/2024 के अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत सम्पत्तिकर के अभिलेख की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट "17"** पर दिये गये विवरणानुसार सम्पत्तिकर माँग व प्राप्ति रजिस्टर में दिनाँक 01.04.2023 को अग्रेषित किये गये आरम्भिक शेष में **₹39222/–** की राशि कम अग्रेषित किये जाने के कारण नगर पंचायत निधि को हानि हुई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः क्रमांकः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/– 287 दिनांकः 18/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा आरम्भिक शेष का अद्यतन करने बारे सूचित किया जिसका सत्यापन अंकेक्षण में कर लिया गया था। भविष्य में इस प्रकार की चूक का न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(13.3) दिनाँक 31.03.2024 को सम्पत्तिकर खातों में अन्तशेष गणना/दर्ज न करना

अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत वर्ष 2023–24 के सम्पत्तिकर माँग व प्राप्ति रजिस्टर की जांच में पाया गया कि इसमें करदाताओं के व्यक्तिगत खातों में दिनाँक 31.03.2024 को अन्तशेष की गणना करके प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई है। इस अनियमितता के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः क्रमांकः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/– 287 दिनांकः 18/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः नगर पंचायत के अभिलेख में यथाशीघ्र आवश्यक संशोधन करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(13.4) 26 वर्षों तक ₹22.07 लाख लम्बित सम्पत्ति कर की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई न करना

अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई सूचनाओं तथा अभिलेख की अंकेक्षण जाँच पर पाया गया कि **परिशिष्ट "18"** पर संलग्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर की वसूली हेतु कुल बकाया **₹25,84,281/–** की राशि में से **₹22,07,064/–** की राशि 112 बकाएदारों से 4 से लेकर 26 वर्षों तक की अवधि के लिये वसूली हेतु शेष थी। इसके अतिरिक्त शेष वसूली भी 1 से 3 वर्षों

के लिये लम्बित है। नगर पंचायत के कुल सम्पत्ति करदाताओं की संख्या 327 है। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 86 व 87 तथा निदेशक, शहरी विकास द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों द्वारा करों की शत/प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु इनकी अनुपालना नहीं हुई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/– 289 दिनांकः 19/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। अतः इन बकायेदारों से इस राशि की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर इनके विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(13.5) वर्ष 2021–22 में गिराये जा चुके भवनों के ₹0.53 लाख के लम्बित सम्पत्ति कर की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई न करना

अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई सूचनाओं तथा अभिलेख की अंकेक्षण जाँच पर पाया गया कि **परिशिष्ट "19"** पर संलग्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2024 को **₹25,84,281/–** के कुल बकाया सम्पत्ति कर की राशि में से **₹52783/–** की राशि ऐसे चार बकाएदारों के विरूद्ध है जिनके भवन माँग व प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज टिप्पणी के अनुसार वर्ष 2021–22 में गिराये जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 86 व 87 तथा निदेशक, शहरी विकास द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों द्वारा करों की शत/प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु इनकी अनुपालना नहीं हुई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/– 292 दिनांकः 19/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। अतः इन बकायेदारों से इस राशि की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर इनके विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर

ठोस कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(13.6) वाहन पर्किंग को वर्ष में केवल 113 दिनों के लिये किराये पर देकर कम आय अर्जित करना

नगर पंचायत द्वारा केवल एक ही स्थाई वाहन पार्किंग गरूनाझाड़ी के पास निर्मित की गई है। वर्ष 2023–24 में इसे सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः न.पं.तलाई/मेला/2024–185 दिनॉंक 04.03.2024 द्वारा श्री राजकुमार सपुत्र श्री हँसराज को अनुबन्ध आधार पर कुल ₹356000/– के किराये पर दी गई थी। इस आबन्टन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त पार्किंग 10.03.2024 से 30.06.2024 तक मात्र 113 दिनों के लिये ही किराये पर दी गई थी। वर्ष के शेष 252 दिनों में इस पार्किंग से कोई आय अर्जित नहीं की गई जोकि तर्कसंगत नहीं है। इस अनयिमितता के बारे में सचिव नगर पंचायत तलाई को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–296 दिनांकः 21/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनॉंक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। वित्तीय संसाधानों की कमी से जूझती नगर पंचायत द्वारा आय के इस स्त्रोत का पूरा वर्ष दोहन न किया जाना कतई तर्कसंगत नहीं है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यों तथा अभिलेख सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(13.7) सफाई व्यवस्था पर व्यय तथा एकत्र शुल्क पर अंकेक्षण टिप्पणियाँ

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–256 दिनांकः 03/10/2024 तथा 300 दिनांकः 25/11/2024 के सन्दर्भ में सचिव द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्याः एन0पी0टी0/ऑडिट/SWM/ 2024– दिनॉंक 23.09.2024 **(परिशिष्ट "20")** द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 2023–24 में घरद्वार कचरा संग्रहण शुल्क के रूप में आवासीय भवनों से ₹2,84,880/– तथा व्यावसायिक भवनों से ₹4,12,250/– कुल **₹6,97,130/–** की राशि एकत्र की गई थी। इसके साथ ही प्रस्तुत सूचना के अनुसार 61.26 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट के निस्तारण पर ₹54,21,068/– तथा 439.20 मीट्रिक टन गीले कचरे पर ₹36,14,046/– कुल **₹90,35,114/–** की राशि इस वर्ष में व्यय की गई थी।

परन्तु घर द्वार कचरा संग्रहण शुल्क की सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा सभी आवासीय भवनों को इस व्यवस्था का भाग बनाने के स्थान पर **कुल 563 भवनों में से मात्र 409 (73%)** भवनों को ही यह सुविधा दी गई थी। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत कचरा संग्रहण शुल्क की व्यवस्था इसलिये रखी गई है ताकि नागरिकों की भी सफाई व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित हो सके तथा उन्हें भी अपने दायित्व का बोध रहे। शुल्क दरों से स्पष्ट है कि सफाई व्यवस्था पर किये जा रहे लगभग एक करोड़ के व्यय के तुलना में यह प्रतिपूर्ती वैसे भी नाममात्र ही है तथा उसमें भी सभी नागरिको को यह सुविधा न देना अथवा उनसे शुल्क वसूली न करना कतई तर्कसंगत नहीं है। समस्त अभिलेख तथा सफाई व्यवस्था हेतु अपनाई गई व्यवस्था के विश्लेषण से स्पष्ट है कि;

1. नगर पंचायत को कचरा सन्ग्रहण शुल्क की दरों को सन्शोधित करके तर्कसंगत तथा व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है; तथा
2. सभी नागरिको को इस सुविधा का लाभ प्राथमिकता के आधार पर देकर व्यवस्था का भाग बनाया जाये ताकि इस पर किये जा रहे व्यय में से अधिकतम राशि की प्रतिपूर्ती सम्भव हो सके।

इस अनियमितता के बारे में सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–302 दिनांकः 26/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस अनियमितता के बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करना तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

14. संस्थापना व्यय

(14.1) नगर पंचायत कर्मचारियों के वेतन से प्रावधानानुसार सामूहिक बीमा योजना अंशदान की वैधानिक कटौती न करना

नगर पंचायत के अवधि 04/2023 से 03/2024 में वेतन भुगतान के अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सरकार द्वारा प्रावधित वैधानिक कटौतियाँ सभी कर्मचारियों के वेतन से नहीं की गई थीं। सामूहिक बीमा योजना अंशदान (Group Insurance Scheme Premium) की कटौती श्री खेम चन्द वर्मा, सचिव तथा श्री अशोक कुमार, सेवादार (प्रतिनियुक्ति

पर) के अतिरिक्त किसी भी स्थाई कर्मचारी के वेतन से नहीं की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–285 दिनांकः 16/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.2) नगर पंचायत कर्मचारियों के वेतन से प्रावधानानुसार सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना अंशदान की वैधानिक कटौती न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नवम्बर 2016 से स्थाई, अस्थाई, अनुबन्धित, दिहाड़ीदार, अंशकालिक आदि सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आरम्भ की थी जिसमें प्रतिवर्ष इसी माह में कर्मचारी के वेतन से वार्षिक प्रीमियम की कटौती की जाती है। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन–आई एफ–(एफ)/9–5/2012 दिनाँक 10.11.2023 के अनुसार माह 11/2023 में उक्त सभी कर्मचारियों के वेतन से वार्षिक प्रीमीयम ₹200/– की दर से काटा जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–285 दिनांकः 16/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.3) अतिरिक्त पैन्शन तथा पैन्शन भत्ते का लाभ जारी नहीं किया जाना

हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के ज्ञापन संख्याः No. Fin(Pen)A(3)-1/09-Part-I dated 14.10.2009 के नियम 5.7 के प्रावधानानुसार सभी पैन्शन व पारिवारिक पैन्शन भोगियों को 80, 85, 90, 95 तथा 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमशः 20% 30% 40% 50% तथा 100% की दर से देय अतिरिक्त पैन्शन का लाभ दिया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार ज्ञापन संख्याः No. Fin(Pen)A(3)-1/09- dated 23.04.2014 के अनुच्छेद 1 के प्रावधानानुसार सभी पैन्शन व पारिवारिक पैन्शन भोगियों को 65, 70 तथा 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमशः 5% 10% तथा 15% की दर से देय पैन्शन भत्ते का लाभ दिया जाना अपेक्षित है। नगर पंचायत के पैन्शन भुगतान अभिलेख की जाँच में पाया

गया कि श्री कुलदीप चन्द, सेवानिवृत सफाई कर्मचारी 65 वर्ष की आयु 01.06.2023 को पूर्ण कर चुके हैं परन्तु उन्हें 5% की प्रावधित दर से पैन्शन भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–280 दिनांकः 04/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.4) पैन्शन तथा पारिवारिक पैन्शन भोगियों के वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र वाँछित

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष जुलाई माह में पैन्शन तथा पारिवारिक पैन्शन भोगियों से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है जिसके अभाव में अगस्त माह से आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही पैन्शन भुगतान रोक दिया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर पंचायत के वर्ष 2023–24 में पैन्शन भुगतान के अभिलेख के अवलोकन पर उक्त जीवन प्रमाणपत्र अनुपलब्ध पाये गये थे। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–280 दिनांकः 04/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15. अग्रिम

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–256 दिनांकः 03/10/2024 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को समायोजन हेतु शेष अग्रधन की राशि शून्य थी।

16. व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ

(16.1) पैन्शन धारकों को महँगाई राहत गणना 159% के स्थान पर 162% की दर से करने के कारण ₹0.37 लाख का अधिक भुगतान

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सेवानिवृत नगर पंचायत कर्मचारियों के लिये अभी तक दिनाँक 01.01.2016 से पैन्शन संशोधन को अपनी स्वीकृती प्रदान नहीं की है तथा संशोधन पूर्व की पैन्शन

पर महँगाई राहत की दर 159% के बाद नहीं बढ़ाई गई है। नगर पंचायत के पैन्शन बिलों की अंकेक्षण जाँच पर पाया गया कि पैन्शन धारकों को 01.01.2022 से 31.10.2024 तक 34 महीनों में पैन्शन के साथ महँगाई राहत का भुगतान 159% के स्थान पर 162% की दर से अनियमित रूप से किया गया था। इस अनियमितता के कारण **परिशिष्ट "21"** पर संलग्न विवरण के अनुसार दिनांक 31.10.2024 तक पैन्शन धारकों को ₹36,516/– का अनियमित व अधिक भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–280 दिनांकः 04/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(16.2) पैन्शन व ग्रैच्युटि निधि नियोक्ता अंशदान में ₹2.64 लाख की राशि अधिक अन्तरित करना

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPALITY EMPLOYEES (PENSION, GRATUITY AND GENERAL PROVIDENT FUND) RULES, 2000 के नियम 3(3) के अनुसार नगर पंचायत द्वारा सृजित कर्मचारी पदो के विरूद्ध उनके वेतनमान के अधिकतम स्तर के आधार पर क्रमशः की 12% व 5% की दर से पैन्शन व ग्रैच्युटि की राशि प्रत्येक माह निधि के बैंक खाते में अन्तरित करना आवश्यक है। इस निधि का उपयोग सेवानिवृित कर्मचारियों की मासिक पैन्शन तथा अन्य सेवानिवृति लाभों का भुगतान करने में किया जाता है। नगर पंचायत के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि दिनांक 01.10.2022 से यह अन्तरण वेतन संशोधन नियम, 2022 के अधिकतम वेतनमान के आधार पर किया जा रहा है। परन्तु इसकी गणना हेतु कनिष्ठ अभियन्ता तथा लिपिक के पदो के वेतनमान की अधिकतम राशि वास्तविक की तुलना में अधिक ली गई है। इस चूक के कारण **परिशिष्ट "22"** में दिये विवरणानुसार अवधि 01.10.2022 से 31.10.2024 तक 25 महीनों पैन्शन निधि में **₹1,86,300/–** तथा ग्रैच्यूटी निधि में **₹77,625/–** कुल **₹2,63,925/–** का अधिक अन्तरण किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–288 दिनांकः 19/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा

शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(16.3) वेतन संशोधन पश्चात भी पैन्शन तथा ग्रैच्यूटि निधि में नियोक्ता अंशदान का अन्तरण वेतन संशोधन नियम–2009 के आधार पर करना

नगर पंचायत के माह 05/2023 के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जाँच पर पाया गया कि नगर पंचायत कर्मचारियों को वेतन संशोधन नियम 2022 का लाभ माह जनवरी 2016 से जारी करके जनवरी 2022 से इसका नकद भुगतान किया जा रहा है। परन्तु पैन्शन निधि में 12% तथा ग्रैच्यूटि निधि में 5% की दर से अन्तरित किया जाने वाला नियोक्ता अंशदान माह 09/2022 तक वेतन संशोधन नियम–2009 के वेतनमान/पे–बैण्ड के अधिकतम स्तर के आधार पर ही किया गया था। जब कर्मचारियों को वेतन भुगतान नये वेतनमान के आधार पर किया गया तो पैन्शन तथा ग्रैच्यूटि निधि में नियोक्ता अंशदान का अन्तरण पुराने वेतनमान के आधार पर तर्कसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त यह निदेशक शहरी विकास विभाग के कार्यालय पत्र संख्याः यूडी–एच(बी)(10)–3/2002–4–1–20604–64 दिनांक 23.10.2024 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की भी अवहेलना है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–285 दिनांकः 16/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(16.4) निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.40 लाख का व्यय करना

नगर पंचायत के माह 05/2023 के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जाँच पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली, 2009 के नियम 97 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुये निम्न तालिका में वर्णित **₹40,401/–** का व्यय करते समय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की गई थीं। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–302 दिनांकः 26/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	दिनाँक	व्यय राशि (₹)	व्यय का उद्देश्य	आपूर्तिकर्ता
1	27	10.05.2023	18880	नगर पंचायत की वैबसाईट के अद्यतन एवं रखरखाव का वार्षिक शुल्क।	आई टी ऐकैडमिक्स (प्रा) लिमिटड लखनऊ।
2	28	10.05.2023	21521	तलाई से अल्ट्राटैक सीमेन्ट पलान्ट तक ठोस कचरे का ट्रक द्वारा ढुलान।	श्री विजय कुमार, गांव चकमोह, जिला हमीरपुर, हि प्र।
		कुल योगः	**40401**		

17. निर्माण कार्यों में व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ

(17.1) वाउचर संख्या 32 दिनांक 16.05.2023 द्वारा भुगतान किये गये निर्माण कार्य बिल में ₹1130/– का अनियमित भुगतान

निम्न वर्णित निर्माण कार्य बिल जिसका भुगतान वाउचर संख्या 32 दिनांक 16.05.2023 द्वारा किया गया था, की जांच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं।

1	Work	P/F underground PVC pipe for drainage in chowk near house of Sh. Chaman Lal Soni, Sh. Shashi Pal Sharma etc. in ward 5 Talai.
2	Contractor	Sh Dev Nidhi
3	MB and Page	24/41-44
4	Award letter & Date	NP Talai/SWM/Works/2023-339 dated 06-03-2024
5	Estimated cost	₹38530/-
6	Award amount	₹39334/-
7	1st & Final Bill amount	₹31942/-
8	Date of start	07-03-2023

9	Date of completion	17-03-2023
	Time allowed for completion	1 Months

मापन पुस्तिका के पृष्ठ 43 पर मद संख्या 3 में 15 सैंटीमीटर व्यास की 15.05 मीटर लम्बी पीवीसी पाईप भूमिगत बिछाने के लिये ₹790/– प्रति मीटर की दर से ₹11890/– का भुगतान किया गया था।

इस पाईप के चारों ओर 1:5:10 के अनुपात में सीमेन्ट कन्क्रीट डालने का भुगतान मद संख्या 2 में पृष्ठ 42 पर 1.21 घनमीटर की मात्रा के लिये ₹4250/– प्रति घनमीटर की दर से ₹5142/–के लिये किया गया था।

नियमानुसार 1:5:10 के अनुपात में सीमेन्ट कन्क्रीट की मद में से इसके अन्दर बिछाई गई पीवीसी पाईप के आयतन के समान मात्रा के लिये कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण कार्य की अंकेक्षण जाँच में पाया गया है कि यह कटौती नहीं की गई है। इस कारण इस निर्माण कार्य में संविदाकार को सीमेन्ट कन्क्रीट की मात्रा में कुल **₹1130/–** (3.142X0.075X0.075X15.05X4250) का अधिक भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–295 दिनांकः 21/11/2024 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस अनुचित भुगतान की प्रतिपूर्ती उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(17.2) वाउचर संख्या 164 दिनांक 08.11.2023 द्वारा भुगतान किये गये निर्माण कार्य बिल में ₹0.19/– लाख का अनियमित भुगतान

निम्न वर्णित निर्माण कार्य बिल जिसका भुगतान वाउचर संख्या 164 दिनांक 08.11.2023 द्वारा किया गया था, की जांच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं।

1	Work	C/o Retaining/breast wall at SWM site of Nagar Panchayat Hill Side.
2	Contractor	SKS Builders, Billanwali Gujran, The Biddi Distt. Solan. HP
3	MB and Page	24/67-73

4	Award letter & Date	NP Talai/SWM/Works/2023-243 dated 15-02-2023
5	Estimated cost	₹974265/-
6	Award amount	₹730698/-
7	1st & Final Bill amount	₹729793/-
8	Date of start	02-09-2023
9	Date of completion	20-10-2023 after due extension of time due to inability of NP in handing over the site
	Time allowed for completion	1 Months

1. **शटरिंग के लिये दोहरा भुगतान करके संविदाकार को ₹17257/— का अनुचित लाभ देनाः**— मापन पुस्तिका के पृष्ठ 70 पर मद संख्या 3 में 186.03 वर्गमीटर शटरिंग का ₹185.53/— प्रति वर्गमीटर की दर से **₹34514/—** का भुगतान किया गया है। इस मात्रा की गणना निम्न प्रकार से की गई थीः—

2X68.9X0.75=	103.35 M^2
2X68.9X0.60=	82.68 M^2
Total	**186.03 M^2**

उपरोक्त गणना से स्पष्ट है कि इस सुरक्षा दीवार हेतु दोतरफा शटरिंग के लिये भुगतान किया गया था। परन्तु जैसा कि इस कार्य के नाम से ही स्पष्ट है कि सुरक्षा दीवार का निर्माण पहाड़ी के साथ किया गया है जिसमें दोतरफा शटरिंग का प्रयोग तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इसमें पिछली ओर तो दीवार को पहले से ही पहाड़ी का सहारा है। इसके अतिरिक्त यदि दीवार का निर्माण दोहरी शटरिंग का प्रयोग करके किया गया है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा दीवार के पिछली ओर रेत और पत्थर का भरान किया जाना अपेक्षित था परन्तु इस कार्य में यह मद भी निष्पादित नहीं हुई है। अतः स्पष्ट है कि इस कार्य में शटरिंग के लिये दोहरा भुगतान करके संविदाकार को **₹17257/— (34514/2)** का अनुचित लाभ दिया गया प्रतीत होता है।

2. **सीमेन्ट कन्क्रीट की मद में से वीपहोल के लिये ₹2657/– की कटौती न करनाः–**

मापन पुस्तिका के पृष्ठ 71 पर मद संख्या 5 में 82 वीपहोल के लिये ₹90/– प्रत्येक की दर से ₹7380/– का भुगतान किया गया था। वीपहोल के लिसे सामान्यतः 10 सैंटीमीटर व्यास के पीवीसी पाईप का प्रयोग किया जाता है तथा इस सुरक्षा दीवार की 0.60 से 0.90 मीटर की चौड़ाई होने के आधार पर इन वीपहोल की औसत लम्बाई 0.75 सैंटीमीटर है। पृष्ठ 71 पर ही मद संख्या 4 में 1:3:6 के अनुपात में 119.78 घनमीटर कन्क्रीट का ₹5500/– प्रति घनमीटर की दर से ₹6,58,790/– का भुगतान किया गया था। इस सीमेन्ट कन्क्रीट की मद में से सुरक्षा दीवार में बनाये गये वीपहोल के लिये प्रयोग की गई पीवीसी पाईप के आयतन के समान मात्रा के लिये कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु यह नहीं की गई। इस कारण इस निर्माण कार्य में संविदाकार को सीमेन्ट कन्क्रीट की मात्रा में कुल **₹2657/– (3.142 X 0.05 X 0.05 X 0.75 X 82 X 5500)** का अधिक भुगतान किया गया था।

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण इस कार्य में कुल **₹19914/– (17257+2657)** का अनुचित व अधिक भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–297 दिनांकः 22/11/2024 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त वर्णित दोनों अनुचित भुगतानों की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(17.3) कार्य निष्पादन में देरी होने पर भी संविदाकार से आबन्टन पत्र तथा "मानक अनुबन्ध प्रारूप" (Standarad Agreement Form) में प्रावधित शर्त के अनुसार ₹1.98 लाख की क्षतिपूर्ति राशि की कटौती न करना।

नगर पंचायत के अवधि 04/23 से 03/24 तक के लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "23"** में वर्णित आठ निर्माण कार्य बिलों का निष्पादन निर्धारित समायावधि के पश्चात देरी से किये जाने के उपरान्त भी कार्य आबन्टन पत्र तथा 'मानक अनुबन्ध प्रारूप (Standarad Agreement Form) में दिये गये प्रावधानों की अनुपालना में अपेक्षित दण्डराशि की कटौती अन्तिम बिलों से नहीं

करके संविदाकारों को **₹1,97,687/–** का अनियमित व अधिक भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–299 दिनांकः 25/11/2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत को सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनॉक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(17.4) निर्माण कार्य बिलों से काटी गई रॉयल्टी की ₹7993/– की राशि को खनन विभाग के पास जमा न करवाना

नगर पंचायत के अंकेक्षणावधि में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि **परिशिष्ट "24"** में दिये विवरणानुसार अवधि 04/2023 से 03/2024 के बीच संविदाकारों से निर्माण कार्यों में उपयोग की गई क्षुद्र खनिज सामग्री की मात्रा पर Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of illegal mining Transport and Storage) Rules 2015 नियम के नियम 4 (1),18(1) व 19 (1) (9) के प्रावधानों के अनुसार वसूल की गई रॉयल्टी की **₹7,993/–** की राशि की कटौती की गई थी। परन्तु इस राशि की कटौती के पश्चात इसे खनन विभाग के पास जमा करवाने के स्थान पर अनियमित रूप से नगर पंचायत निधि में ही जमा रखा गया था। रॉयल्टी की वसूली करके राशि सरकारी कोष में जमा न करवाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है तथा इस चूक के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि निकट भविष्य में खनन विभाग इस राशि की वसूली हेतु न केवल मूल राशि परन्तु इसके ऊपर ब्याज व दण्ड राशि के लिये भी माँग कर सकता है। ऐसी स्थिति में ब्याज व दण्ड राशि के भुगतान का दायित्व नगर पंचायत का नहीं होगा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–299 दिनांकः 25/11/2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत को सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनॉक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(17.5) निर्माण कार्य निष्पादन में सक्षम प्राधिकारी की संशोधित प्रशासनिक तथा व्यय स्वीकृति (AA&ES) के बिना किया गया ₹6.13 लाख का अनियमित भुगतान

सी. पी. डब्ल्यू. डी. कोड 2014 के पैरा 2.3.5 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित निर्माण कार्य बिलों का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय स्वीकृति राशि (AA&ES) से यदि 10% प्रतिशत की प्रावधित मात्रा से अधिक राशि के लिये किया जाता है तो कुल व्यय राशि के लिये सक्षम प्राधिकारी की संशोधित स्वीकृति अपेक्षित है। नगर पंचायत तलाई के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के चयनित माह के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया था कि **परिशिष्ट "25"** में वर्णित 2 निर्माण कार्य बिलों में कुल वास्तविक व्यय स्वीकृत राशि की तुलना में ***15.18% तथा 16.90% (कुल ₹87,475/—) तक की अधिक राशि के लिये किया गया था परन्तु यह व्यय प्रावधित सीमा से अधिक होने पर भी*** सक्षम प्राधिकारी की संशोधित व्यय स्वीकृति नहीं ली गई थी। इस कारण इन दो निर्माण कार्य बिलों में किया गया कुल ***₹6,12,695/—*** का व्यय पूर्णतः अनियमित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग — शिमला/2024/—299 दिनांकः 25/11/2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत को सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024—947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(17.6) निर्माण कार्यों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया अनियमित भुगतान

सी. पी. डब्ल्यू. डी. कोड 2014 के पैरा 24.1.2.(ए) के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व किसी भी निर्माण कार्य की निष्पादित मात्रा/राशि में आये कम/अधिक विचलन (Deviation) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाये जाने के पश्चात ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर पंचायत तलाई द्वारा अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के चयनित माह के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया था कि संलग्न **परिशिष्ट "26"** पर संकलित 27 प्रकरणों में निष्पादित निर्माण कार्य की कुल मात्रा व राशि अवार्ड की तुलना में अधिक अथवा कम होने पर भी इनके अन्तिम बिलों का भुगतान करने से पूर्व विचलन को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति

से नियमति नहीं किया गया था। यह बहुत ही खेदजनक है कि इस सन्दर्भ में पिछले कई अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपत्ति दर्ज करने के बाद भी नगर पंचायत द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया है। अतः एक बार पुनः यह मामला प्राथमिकता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाये जाने तथा भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–299 दिनांकः 25/11/2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत को सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः न0प0त0/अंकेक्षण/2024–947 दिनाँक 26.11.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

18. अचल सम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण न करना

हिमाचल प्रदेश नगर पंचायत लेखा संहिता–1975 के नियम 152(1) के अनुसार परषिद् के लिये प्रारूप आर–1 तथा आर–1बी (R.I. and R.I.B.) के अनुसार अचल सम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण करना आवश्यक है। परन्तु सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–256 दिनांकः 03/10/2024 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि इस नियम की अवहेलना करते हुये सम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इस बारे में पूर्व में कई अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपत्ति दर्ज करने पर भी नगर पंचायत द्वारा अनुपालना नहीं की गई है। अतः एक बार पुनः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

19. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–256 दिनांकः 03/10/2024 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा अभिलेख के अनुसार नगर पंचायत द्वारा स्टॉक का अन्तिम प्रत्यक्ष सत्यापन दिनाँक 05.04.2023 को किया गया था। हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप यह कार्रवाई प्रतिवर्ष किया किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

20. **लघु आपत्ति विवरणिका:**— यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

21. **निष्कर्ष:**— नगर पंचायत के लेखों का अनुरक्षण बहुधा सन्तोषजनक पाया गया है तदापि गत अनुच्छेदों में दर्ज अंकेक्षण टिप्पणियाँ इंगित करती है कि इनमें अभी भी सुधार की और आवश्यकता है।

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
फोन नं० 0177—26020881

का०/प्रति
30 JAN 2025

पृष्ठांकन संख्या:फिन(एल०ए०) एच (2)सी—15(V)75/84 खण्ड—4 दिनांक: शिमला—171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को पैरा संख्या: 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप—सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि०प्र० विधान सभा, शिमला—03

पंजीकृत : 3 सचिव, नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

30 JAN 2025

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
फोन नं० 0177—26020881

का०/प्रति

परिशिष्ट "1"

अनुच्छेद संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

नगर पंचायत तलाई के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन फरवरी 1995 से मार्च 1997 (विशेष रिपोर्ट)

क्र	पैरा संख्या	स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा–8	निर्णीत		निदेशक, हि• प्र• राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।

(ख) उप नियन्त्रक (अंकेक्षण) का दिनांक 27.10.1995 से 28.10.1995 का निरीक्षण प्रतिवेदन

क्र	पैरा संख्या	स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा–8	निर्णीत		निदेशक, हि• प्र• राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1993 से 03/1996 तक

क्र	पैरा संख्या	स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा–8	निर्णीत		निदेशक, हि• प्र• राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1996 से 03/2005 तक

क्र	पैरा संख्या	स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण

1	पैरा–6 (2)	निर्णीत	प्रवेश शुल्क की कम वसूली करना।	सचिव द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
2	पैरा–6 (5)	निर्णीत	छड़ीहार नीलामी की कम वसूली करना।	सचिव द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
3	पैरा–9 (ण)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
4	पैरा–9 (ध) (2)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2007 तक

क्र	पैरा संख्या	स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा–4 (3)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
2	पैरा–4 (4)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2013 तक

क्र	पैरा संख्या	स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा–10(क)	अनिर्णीत	₹26000 की कम वसूली (पार्किंग गुरनाझाड़ी)	
2	पैरा–10(ख)	अनिर्णीत	₹20000 की कम वसूली (छड़ीहार/तहबाजारी)	
3	पैरा–15(क)	अनिर्णीत	कम्पोस्टिंग प्लाट का निर्माण कार्य–प्रथम चलित बिल	
4	पैरा–15(ख)	अनिर्णीत	कम्पोस्टिंग प्लाट का निर्माण कार्य–दूसरे चलित बिल	
5	पैरा–17(क)	अनिर्णीत	कम्पोस्टिंग प्लाट का निर्माण कार्य–वैरेल चैनल का निर्माण कार्य	
6	पैरा–17(ख)	अनिर्णीत	कम्पोस्टिंग प्लाट का निर्माण कार्य–वैरेल चैनल का निर्माण कार्य	
7	पैरा–17(ग)	अनिर्णीत	कम्पोस्टिंग प्लाट का निर्माण कार्य–वैरेल चैनल का निर्माण कार्य	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2015 तक

क्र	पैरा संख्या	स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा–5 (1)	निर्णीत	निवेशित राशि की परिपक्वता पर ₹1.25 लाख का कम ब्याज प्राप्त करने बारे	सचिव द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत अभिलेख तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
2	पैरा–8	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2017 तक

क्र	पैरा संख्या	स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा–7	निर्णीत	नगर पंचायत द्वारा करवाई गई निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज में से विभिन्न बैंकों द्वारा स्त्रोत पर काटे गये टी0डी0एस0 की वसूली न करना	सचिव द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत अभिलेख तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
2	पैरा–9	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019 तक

क्र	पैरा संख्या	स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा–13	निर्णीत	बैंक द्वारा सावधि निवेश की परिपक्वता पर ब्याज का कम जमा प्रदान करना	सचिव द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत अभिलेख तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
2	पैरा–19	निर्णीत	गुरनाझाड़ी के पास की वाहन पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार के रखरखाव ठेकों की नीलामी राशि में से मु0 1,33,100 की कम वसूली करना	कृत अनुपालना तथा पार्किंग फीस ₹83100/– वसूली का सत्यापन रोकड़ बही पृष्ठ 43 दिनांक 19.01.2023 ₹10000/–, पृष्ठ 47 दिनांक 09.02.2023 ₹20000/–, पृष्ठ 57 दिनांक 11.03.2023 ₹20000/–, पृष्ठ 82 दिनांक 27.06.2023 ₹6000/–, पृष्ठ 134 दिनांक 05.04.2024 ₹15000/–, पृष्ठ 141 दिनांक 13.05.2024 ₹5100/–, पृष्ठ 5 दिनांक 18.06.2024 ₹7000/–, से कर लिया गया। शौचालय शुल्क बारे सचिव द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख सन्तोषजनक पाया गया।

3	पैरा–22	निर्णीत	श्री संजय कुमार कनिष्ठ अभियन्ता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना 10 वर्ष के सेवाकाल के पश्चात थ्री टियर वेतनमान का लाभ अनियमित रूप से प्रदान करना।	सचिव द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
4	पैरा–24	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
5	पैरा–26	अनिर्णीत	Tally Operator को दिनांक 01.11.2016 से 31.03.2017 तक पांच माह के लिये किये गये ₹70000 के अनियमित वेतन भुगतान	
6	पैरा–27	अनिर्णीत	मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी शाहतलाई द्वारा नगर पंचायत की पांच दुकानों को वर्ष 1994 में गिराये जाने तथा जमीन पर कब्जा किये जाने के फलस्वरूप नगर पंचायत सम्पति के मूल्य के अतिरिक्त निरन्तर किराये की आय की लाखों रूपये की हानि	

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक

क्र	पैरा संख्या	स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा–9 (क)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
2	पैरा–9 (ख)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24

				खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
3	पैरा–12	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
4	पैरा–13	निर्णीत	बैंक द्वारा सावधि निवेश की परिपक्वता पर ब्याज का कम जमा प्रदान करना	सचिव द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत अभिलेख तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
5	पैरा–14	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
6	पैरा–16	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
7	पैरा–18	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
8	पैरा–21	अनिर्णीत	तहबाजारी, शौचालय तथा पार्किंग के रख–रखाव ठेकों की आय में मु07.71 लाख की कम वसूली करना	
9	पैरा–24	निर्णीत	निर्माण कार्यो के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

			सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवाकर किया गया अनियमित भुगतान।	
10	पैरा–25	अनिर्णीत	वर्ष 2018–19 में एक वर्ष के लिए दिये गये सफाई व्यवस्था के ठेके को 31.12.2022 तक बार–बार अनियमित विस्तार देकर एक ही व्यक्ति/संस्था को अनुचित लाभ देने बारे	
11	पैरा–26	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिलों में रॉयल्टी की कटौती न करना	
12	पैरा–27	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
13	पैरा–29	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/21 से 3/23

क्र	पैरा संख्या	स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	1 व 2	निर्णीत	मात्र सूचनार्थ।	
2	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
3	4	निर्णीत	वित्तीय विवरणियां	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24

				खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
4	5 (क)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
5	5 (ख)	निर्णीत	बैंक समाधान विवरणी	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
6	5 (ग)	निर्णीत	निधियों का विवरण	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
7	5.1 (क)	निर्णीत	पैन्शन निधि की वित्तीय स्थिति	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
8	5.1 (ख)	निर्णीत	पैन्शन निधि की बैंक समाधान विवरणी	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
9	5.1 (ग)	निर्णीत	पैन्शन निधि की निधियों का विवरण	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।

10	5.1 (घ)	निर्णीत	पैन्शन निधि की निधियों का विवरण	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
11	5.1 (ङ)	निर्णीत	ग्रैच्यूटी निधि की वित्तीय स्थिति	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
12	5.2	निर्णीत	दोहरी लेखा पद्धति Double Entry System on Accrual Basis) को लागू न करने बारे।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत निर्णीत।
13	6 (क)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
14	6 (ख)	निर्णीत	अनुदानों की ₹ 200.45 लाख उपयोग हेतु शेष।	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
15	6 (ग)	निर्णीत	अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना।	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
16	6 (घ)	निर्णीत	₹ 316.47 लाख के अनुदानों के व्यय संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24

				खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
17	7	निर्णीत	निवेश	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
18	7.1	निर्णीत	कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में अतिरिक्त निधि को सावधि जमा में निवेश करने की अपेक्षा बचत खातों में जमा रखने के कारण प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज आय की हानि।	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
19	8	निर्णीत	बजट	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
20	9	निर्णीत	नगर पंचायत के गत तीन वर्षो की आय व्यय का ब्यौरा	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
21	10.1	निर्णीत	गृहकर की बकाया ₹25.00 लाख वसूली हेतु शेष।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
22	10.2	निर्णीत	गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर में ₹0.35 लाख बकाया कम दर्शाया जाना	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
23	10.3	निर्णीत	दुकानों के किराये की बकाया ₹0.41 लाख वसूली हेतु शेष।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

24	10.4	निर्णीत	दुकान को किराये पर आवंटित न करने व खाली रखने के कारण नगर पंचायत को ₹ 0.11 लाख की वित्तीय हानि होने बारे।	सचिव द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
25	10.5	निर्णीत	दुकानों के किराये के नियमानुसार दुकानदारों के साथ अनुबंध को तैयार व नवीनीकरण न करने बारे।	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
26	10.6	निर्णीत	किराये की मांग व वसूली न करने बारे।	सचिव द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
27	10.7	निर्णीत	मोबाईल टावरों की शेष राशि ₹ 0.84 लाख की वसूली न करने बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
28	10.8	निर्णीत	घर–घर कूड़ा संग्रहण के रुप में कम वसूली बारे।	सचिव द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
29	10.9	निर्णीत	विवाह पंजीकरण शुल्क ₹6750/– को सरकारी कोष में जमा न करने बारे।	चालान संख्या A24L146223 द्वारा जमा करवाए जाने की पुष्टि कर ली गई।
30	10.10	निर्णीत	सूचना का अधिकार शुल्क ₹100/– को सरकारी कोष में जमा न करने बारे।	चालान संख्या A24L146041 द्वारा जमा करवाए जाने की पुष्टि कर ली गई।
31	10.11	निर्णीत	बिजली बोर्ड से देय बिजली उपकर की वसूली न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
32	10.12	निर्णीत	आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा शराब उपकर की वसूली न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
33	10.13	निर्णीत	नए भवनों के गृहकर का निर्धारण न करने के कारण पंचायत को राजस्व हानि।	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।

34	10.14	निर्णीत	रैन बसेरा में ठहराव प्रभार राशि ₹ 0.12 लाख की वसूली न करना।	कृत अनुपालना तथा वसूली का सत्यापन रोकड़ बही पृष्ठ 21 दिनांक 31.08.2024 से कर लिया गया।
35	10.15		पार्किंग फीस व तहबाजारी नीलामी से संबंधित प्राप्त आय पर ठेकेदारों से राशि ₹1.96 लाख आयकर की कटौती व जी. एस.टी न लगाने बारे।	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
36	10.16	निर्णीत	मंदिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी शाहतलाई में वर्ष 2023 में होने वाले चैत्र मेला में सफाई व्यवस्था पर नगर पंचायत द्वारा किये गये व्यय की न्यास से 80 प्रतिशत राशि ₹12.84 लाख की वसूली न करने बारे।	कृत अनुपालना तथा वसूली योग्य कुल राशि ₹722756/– का सत्यापन रोकड़ बही पृष्ठ 104 दिनांक 31.10.2023 से कर लिया गया।
37	11.1	निर्णीत	श्री खेमचन्द सचिव के अनियमित वेतन निर्धारण के कारण ₹0.48 लाख का अधिक भुगतान करने बारे।	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
38	11.2	निर्णीत	कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव नियमानुसार न करना।	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
39	11.3	निर्णीत	कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण न करना	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
40	12	निर्णीत	सीवरेज कार्य को निक्षेप आधार पर निष्पादित करवाने के लिए अग्रिम राशि	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः

			₹100.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे।	फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
41	13	निर्णीत	नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान (GeM) से क्रय न करने बारे।	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
42	14.1	निर्णीत	निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवाकर किया गया अनियमित भुगतान करने बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
43	14.2	निर्णीत	निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा सम्बंधित अभिलेख को तैयार न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
44	14.3	निर्णीत	निर्माण कार्य बिल में संविदाकार को ₹1688/– का अधिक भुगतान करना।	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
45	14.4	निर्णीत	निर्माण कार्यों का देरी से निष्पादित तथा नियमानुसार निर्धारित दण्ड राशि ₹ 0.36 लाख की वसूली न करने बारे।	निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
46	14.5	अनिर्णीत	कार्य स्थल पर लाये गये एवं उपयोग की गई निर्माण सामग्री की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.57 लाख की रॉयल्टी को जमा न करना।	

47	15.1	निर्णीत	कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार न करना।	निदेशक, हि• प्र• राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
48	15.2	निर्णीत	शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
49	15.3	निर्णीत	बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
50	16	निर्णीत	स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना।	निदेशक, हि• प्र• राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।
51	17 व 18	निर्णीत	मात्र सूचनार्थ।	

अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों का सार

अवधि 03/2023 तक अनिर्णीत पैरे/उप पैरे	90
4/23 से 3/24 के दौरान लगाए गए पैरे (+) (Including Sub-Paras)	50
कुल	**140**
माह जनवरी 2024 में पैरा निस्तारण हेतु आयोजित विशेष अभियान में निदेशक, हि• प्र• राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी (15)(14) 337/24 खण्ड–1–944 दिनांक 20.02.2024 द्वारा निर्णीत।	49
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे (–)	26
शेष	65

Yearwise detail of the previous settled/unsettled Audit Paras and sub paras in r/o Municipal Council Bilaspur, Distt. Bilaspur, HP

Sr	Audit Period	Total paras unsettled as on 01-04-2023	Number of paras settled during Special Drive	Number of paras settled during current Audit	Number of paras still unsettled as on 31-03-2024
1	Annual Report of H.P. Urban Development Department for the period 02/1995 to 03/1997 (Special Report)	1	1	0	0
2	Inspection Note of the Deputy Controller (Audit) for the period 27-10-1995 to 28-10-1995	1	1	0	0
3	04/1993 to 03/1996	1	1	0	0
4	04/1996 to 03/2005	4	2	2	0
5	04/2005 to 03/2007	2	2	0	0
6	04/2010 to 03/2013	7	0	0	7
7	04/2013 to 03/2015	2	1	1	0
8	04/2015 to 03/2017	2	1	1	0
9	04/2017 to 03/2019	6	1	3	2
10	04/2019 to 03/2021	13	8	2	3
11	04/2021 to 03/2023	49	31	17	1
	Total	**88**	**49**	**26**	**13**

RAJENDER KUMAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Opposite Civil Hospital
NH 103, Ghumarwin
Bilaspur, (H.P.) 174021
98052-37590, 98160-37590
Firm Reg. No.027315N

AUDIT REPORT

We have audited the attached financial statement of Nagar Panchayat, VPO- Talai Tehsil Jhandutta Distt.- Bilaspur (H.P.) 174030 as on 31.03.2024 i.e. Balance Sheet, Income & Expenditure and Receipts & Payments Account for the year ended on that date annexed thereto.

We report as follows:-

a) We have obtained all the information and explanations which are necessary to for the purpose of audit, to best of our knowledge and belief.

b) In our opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the organisation so far as it appears from our examination of books of accounts.

c) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and subject to our following remarks the said accounts gives a true and fair view:-

i) In the case of receipts & payment of the state of affairs of Nagar Panchayat, VPO- Talai Tehsil Jhandutta Distt.- Bilaspur (H.P.) 174030 as on 31.03.2024

ii) In the case of Income & Expenditure Account & Balance Sheet of the Deficit of Nagar Panchayat, VPO- Talai Tehsil Jhandutta Distt.- Bilaspur (H.P.) 174030 as on 31.03.2024.

FOR RAJENDER KUMAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Date :- 30-06-2024
Place:- Ghumarwin (HP)

Proprietor
(CA RAJENDER KUMAR)
Membership No.532656
UDIN- 24532656BJZXXY7782

NAGAR PANCHAYAT
VPO- TALAI TEHSIL- JHANDUTTA DISTRICT- BILASPUR (H.P.)

BALANCE SHEET
AS on 31.03.2024

LIABILITIES		AMOUNT (In Rs.)	ASSETS		AMOUNT (In Rs.)
CAPITAL FUND			Fixed Asset		
(OPENING BALANCE)	4,91,07,653.65				
Less :- Deficit	65,75,868.00	4,25,31,785.65	Gross Amount	1,21,44,644	
			Less:- Depreciation	15,64,470	1,05,80,174.00
			House Tax Receivable		23,53,693.00
			CURRENTS ASSETS		
			(CASH & BANK BALANCE)		
			Saving Bank Balances	95,43,856	
			FDR Banks	2,00,17,164	
			Cash in Hand	36,899	2,95,97,918.65
		4,25,31,785.65			4,25,31,785.65

For Nagar Panchayat

For Rajender Kumar & Associates
Chartered Accountants

Auth. Sign.

PLACE :- Ghumarwin
Date:- 30-06-2024

(Rajender Kumar,CA)
M.No. 532656

NAGAR PANCHAYAT
VPO- TALAI TEHSIL- JHANDUTTA DISTRICT- BILASPUR (H.P.)

Receipts and Payments Account
As on 01/04/2023 To 31/03/2024

Receipt		Amount	Payments		Amount
To Opening Balance			By Establishment Exp. (Annexure 3)		42,79,488.00
Saving Bank Balances	1,53,85,719.65				
FDR Banks	2,23,48,120.00		By Expenditure on Delegated Function (Annexure 4)		25,74,157.00
Cash in hand	23,824.00	3,77,57,663.65			
			By Expenditure on Maintenance/Repair (Annexure 5)		7,61,009.00
To Income From Own Sources (Annexure 1)		42,75,905.00	By Any other expenditure out of Own Income(Annexure6)		5,51,282.00
To Income From Rent (Annexure 2)		47,760.00	By Establishment Exp. SFC (Annexure 7)		42,42,922.00
To Interest Income		12,12,040.00			
To Misc. Income		96,595.00	By Expenditure on Delegated Function SFC (Annexure 8)		7,86,049.00
To SFC Award received during the year		52,49,217.00	By Expenditure on Maintenance- SFC (Annexure 9)		2,29,540.00
To Grant Received (Annexure 11)		1,20,20,404.00			
To Pension Fund		13,59,906.00	By Expenditure out of Grant Received (Annexure 10)		1,81,69,826.00
To Gratuity Fund		6,29,132.00			
			By Pension Paid		12,70,957.00
			By Computer (New, Nominal Value)		2.00
			By Gratuity Paid		1,85,472.00
			By Closing Balance		
			Saving Bank Balance	95,43,855.65	
			FDR Banks	2,00,17,164.00	
			Cash in Hand	36,899.00	2,95,97,918.65
		6,26,48,622.65			6,26,48,622.65

For Nagar Panchayat

For Rajender Kumar & Associates
Chartered Accountants

Rajender Kumar & Associates
GHUMARWIN (HP)

Auth. Sign.

(Rajender Kumar, CA)
M.No. 532656

PLACE :- Ghumarwin
Date:- 30-06-2024

NAGAR PANCHAYAT
VPO- TALAI TEHSIL- JHANDUTTA DISTRICT- BILASPUR (H.P.)

Income & Expenditure Account
As on 01/04/2023 To 31/03/2024

Expenditure	Amount	Income	Amount
To Establishment Exp. (Annexure 12)	42,71,920.00	By Income From Own Sources (Annexure 13)	37,43,374.00
To Expenditure on Delegated Function (Annexure 4)	25,74,157.00	By Income From Rent (Annexure 2)	47,760.00
To Expenditure on Maintenance/Repair (Annexure 5)	7,61,009.00	By Interest Income	12,12,040.00
To Any other expenditure out of Own Income (Annexure 6)	5,51,282.00	By Misc. Income	96,595.00
To Establishment Exp. SFC (Annexure 7)	42,42,922.00	By SFC Award received during the year	52,49,217.00
To Expenditure on Delegated Function SFC (Annexure 8)	7,66,049.00	By Grant Received (Annexure 11)	1,20,20,404.00
To Expenditure on Maintenance- SFC (Annexure 9)	2,29,540.00	By Pension Fund	13,59,906.00
To Expenditure out of Grant Received (Annexure 14)	1,50,64,063.00	By Gratuity Fund	6,29,132.00
To Pension Paid	12,70,957.00	By House Tax Receivable (Annexure 12)	5,67,545.00
To Depreciation	15,64,470.00		
To Gratuity Paid	1,85,472.00		
		By Deficit	65,75,868.00
	3,15,01,841.00		3,15,01,841.00

For Nagar Panchayat

For Rajender Kumar & Associates
Chartered Accountants

Auth. Sign.

PLACE :- Ghumarwin
Date:- 30-06-2024

(Rajender Kumar, CA)
M.No. 532656

Nagar Panchayat Talai Distt Bilaspur HP

Consolidated Financial Position for the year 2023-24

	Opening Balance	Income	Interest on Investments	Total (3+4)	Grand Total (2+5)	Expenditure	Closing Balance (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Own Sources	₹ 1,64,67,503	₹ 45,87,522	₹ 12,12,040	₹ 57,99,562	₹ 2,22,67,065	₹ 86,65,272	₹ 1,36,01,793
Grant In Aid	₹ 2,00,45,416	₹ 1,83,17,957	₹ 0	₹ 1,83,17,957	₹ 3,83,63,373	₹ 2,41,49,230	₹ 1,42,14,143
Total	₹ 3,65,12,919	₹ 2,29,05,479	₹ 12,12,040	₹ 2,41,17,519	₹ 6,06,30,438	₹ 3,28,14,502	₹ 2,78,15,936

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

Nagar Panchayat Talai, Distt Bilaspur HP

Statement of Funds available with MC in Bank and as Cash in Hand as on 31/03/2024

	Savings Accounts Balances:-		
	Bank	**A/c Number**	**Balance**
1	HP State Co.op. Bank Talai	11710104001	₹ 16,66,227
2	HP State Co.op. Bank Talai	11710104023	₹ 34,566
3	HP State Co.op. Bank Talai	11710104003	₹ 32,209
4	SBI Talai	11513219768	₹ 13,019
5	SBI Talai	11513219791	₹ 1,77,829
6	HP State Co.op. Bank Talai	11710112162	₹ 19,74,156
7	HP State Co.op. Bank Talai	11710112163	₹ 24,99,318
8	HP Gramin Bank Talai	888501 00007023	₹ 14,967
9	HP State Co.op. Bank Talai	11710111251	₹ 3,63,315
10	HP State Co.op. Bank Talai	11710111252	₹ 41,910
11	HP State Co.op. Bank Talai	11710111253	₹ 0
12	HP State Co.op. Bank Talai	11720100129	₹ 0
13	HDFC Bank Ltd. Barsar	50100227522512	₹ 5,87,921
14	Canara Bank Talai	5066 101001193	₹ 4,841
15	HP State Co.op. Bank Talai	11710111300	₹ 2,81,558
16	HDFC Bank Ltd. Jhandutta	50100642425831	₹ 17,40,672
17	**Total balance on SB Aoounts as on 31-03-2024**		**₹ 94,32,508**
18	**Balance of the long term Investments as on 31-03-2024 as per the**		**₹ 1,89,80,000**
19	**Cash in Hand**		**₹ 32,450**
20	**Grand Total for all funds available with MC as on 31-03-2024**		**₹ 2,84,44,958**

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

Nagar Panchayat Talai, Distt Bilaspur HP

Statement of Bank Term Deposit Investments as on 31-03-2024

Sr	Bank name	A/c No.	Amount invested	Date of investment	Rate of interest	Maturity Date	Maturity Amount	Date of Actual encashment	Maturity Amount receivable on encashment
1	SBI Talai	33794899790	**₹ 89,80,000**	23-03-2023	7.40%	23-03-2025	₹ 1,03,98,354	23-03-2025	₹ 1,03,98,354
2	HP State Co.op. Bank Talai	11730303700	**₹ 1,00,00,000**	30-11-2023	7.10%	30-11-2024	₹ 1,07,29,128	30-11-2024	₹ 1,07,29,128
	Total as on 31-03-2024		₹ 1,89,80,000						

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

Nagar Panchayat Talai, Distt Bilaspur HP

Bank Reconciliation Statement as on 30-09-2023

1	**Balance as per Financial Position as on 31/03/2024**		**₹ 2,78,15,936**
2	**Add:- cheques issued but not encashed till 31/03/2024**		
3	Uncleared RTGS of Works Bill to Suresh Kumar	₹ 5,69,159	
4	Uncleared RTGS to Himachal Dastak News Paper	₹ 8,500	
5	Uncleared RTGS to Prithvi Lok News Paper	₹ 2,000	
6	Uncleared RTGS to HP Electricity Board Street Light Bill	₹ 21,805	
7	Uncleared RTGS TDS of contractors	₹ 7,161	
8	Uncleared RTGS Labour Cess of contractors	₹ 7,161	
9	Uncleared RTGS GST of contractors	₹ 13,236	
10	**Total for above additions**		**₹ 6,29,022**
11	**Rectified balance after above additions**		**₹ 2,84,44,958**
12	**Balance of funds available in the banks as on 31-03-2024 as per list attached**		**₹ 2,84,44,958**
13	**Difference**		**₹ 0**

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

Nagar Panchayat Talai Distt Bilaspur HP

Consolidated Financial Position of Pension Fund for the year 2023-24

Opening Balance	Receipt	Total including opening balance	Payments	Closing Balance
₹ 60,019	₹ 13,59,906	₹ 14,19,925	₹ 12,70,957	₹ 1,48,968

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H P)

Nagar Panchayat Talai Distt Bilaspur HP

Bank reconciliation Statement in r/o Pension Funf as on 31-03-2024

Sr.	Particulars	Balance
1	Balance in the HPSCB Talai SB A/c No. 11710104024	₹ 1,48,968
2	**Total Funds available as on 31-03-2024**	**₹ 1,48,968**
3	Balance as per financial Position	₹ 1,48,968
4	**Difference**	**₹ 0**

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

Nagar Panchayat Talai Distt Bilaspur HP

Consolidated Financial Position of Gratuity Fund for the year 2023-24

Opening Balance	Receipt	Total including opening balance	Payments	Closing Balance
₹ 11,84,905	₹ 6,29,132	₹ 18,14,037	₹ 1,85,472	₹ 16,28,565

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

Nagar Panchayat Talai Distt Bilaspur HP

Bank reconciliation Statement in r/o Gratuity Fund as on 31-03-2024

Sr.	Particulars	Balance
1	Balance in the HPSCB Talai SB A/c No. 11710104025	₹ 5,91,401
2	Balance in the HPSCB Talai Term Deposit A/c No. 11730302786	₹ 10,37,164
3	**Total Funds available as on 31-03-2024**	**₹ 16,28,565**
4	Balance as per financial Position	₹ 16,28,565
5	**Difference**	**₹ 0**

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

Nagar Panchayat Talai, Distt Bilaspur HP

Statement of Bank Term Deposit Investments from Gratuity Fund as on 31-03-2024

Sr	Bank name	A/c No.	Amount invested	Date of investment	Rate of interest	Maturity Date	Maturity Amount	Date of Actual encashment	Maturity Amount receivable on encashment
1	HP State Co.op. Bank Talai	11730302786	**₹ 10,37,164**	19-09-2023	7.10%	19-09-2024	₹ 11,12,787	19-09-2024	₹ 11,12,787

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

Nagar Panchayat Talai, Distt Bilaspur HP

Consolidated Financial Position of Grants in Aid for the period 04/2021 to 03/2024

	OPENING BALANCE	RECEIPT	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2023-24	₹ 2,00,45,416	₹ 1,83,17,957	₹ 3,83,63,373	₹ 2,41,49,230	₹ 1,42,14,143

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

Nagar Panchayat Talai, Distt Bilaspur, Himachal Pradesh

Yearwise details of Grants in Aid received during the period 4/2023 to 3/2024

Sr	Head	Sanctioning Authority	Letter number and Date	Purpose	Opening Balance	Receipt during the year	Total (6+7)	Expenditure during the year	**Closing Balance (8-9)**	**Year when this GIA was received**	UC Letter no. & date **(Ucs have been submitted by the MC online through E-mail without assigning any dispatch number)**	GIA for which UCs have not been issued (7-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
1	6th State Finance Commission	Director UD	UD-H(c)(10)-1/2023-SFC Awards-Loose-13931-13993 dtd 31-07-2023 for ₹5249217/-	Maintenance of assets, performance of statutory and delegated functions, payment of honorarium to elected representatives.	**₹ 11,009**	₹ 52,49,217	₹ 52,60,226	₹ 52,60,226	₹ 0	2022-23 & 2023-24	None	
2	CFC Tied	Director UD	1. UD-H(c)(10)-1/2020-I-CFC Release-2420-2490 dtd 10-05-2023 & 03-05-203 for ₹1458099 (1456116+1983) 2. Recoupment from MC Fund ₹10185/- 3. UD-H(c)(10)-3/2020-II-4895-956 dtd 13-03-2024 for ₹1444173	For Water Management and Solid Waste Management	**₹ 63,88,055**	₹ 29,12,457	₹ 93,00,512	₹ 46,09,002	**₹ 46,91,510**	2022-23 & 2023-24	None	
3	CFC untied	Director UD	**1.** UD-H(c)(10)-1/2020-I-CFC Release-2491-2561 dtd 10-05-2023 & 03-05-203 for ₹972066 (970744+1322) 2. UD-H(c)(10)-3/2020-II-4957-501 dtd 13-03-2024 for ₹962793	Maintenance of ULB roads, completion of incomplete infrastuscture schemes etc.	₹ 0	₹ 19,34,859	₹ 19,34,859	₹ 19,34,859	₹ 0	2023-24	None	
4	Swachh Bharat Mission/ IEC SBM	Director UD	PFMS Payments during the year 2023-24	Sanitation in the city.	**₹ 3,46,124**	₹ 8,99,319	₹ 12,45,443	₹ 12,45,443	₹ 0	2022-23 & 2023-24	Being PFMS A/c no UC is required	
5	R/M ULB roads	Director UD	***	Maintenance of ULB roads.	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	***	None	
6	DAY-NULM	Director UD	PFMS Payments during the year 2023-24	Providing assistance for livlihood to citizens of the town	₹ 0	₹ 1,65,548	₹ 1,65,548	₹ 1,65,548	₹ 0	2023-24	Being PFMS A/c no UC is required	
7	Municipal Parks	Director UD	***	Construction and maintenance of the municipal parks.	**₹ 22,98,676**	₹ 0	₹ 22,98,676	₹ 22,98,676	₹ 0		None	
8	PMAY-HFA	Director UD	PFMS Payments during the year 2023-24	Providing financial assistance for contruction of house by homelesss people.	₹ 0	₹ 31,19,000	₹ 31,19,000	₹ 31,19,000	₹ 0	2023-24	Being PFMS A/c no UC is required	

9	NDRF/SDMA	Director UD	UD-H(F)-Rain Damage-Engg.Cell/2013 dtd 30-03-2024 for ₹867758/-	Repair of municipal assets damaged in natural disasters	₹ 0	₹ 8,67,758	₹ 8,67,758	₹ 0	**₹ 8,67,758**	2023-24	None	
10	DC/SDRF/NDRF/SDP	DC Bilaspur	1. BLS-PLG(SDP)2023-24-24417-18 dtd 06-06-2023 for ₹600000/-, 2. Recoupment from MC Fund ₹315395/- 3. BLS-Relief-3(2)/193-SDRF-NDRF/ 2023-24 Vol-1 dtd 25-11-2023 for ₹180000/- 4. BLS-Relief-3(2)/193-SDRF-NDRF/ 2023-24 Vol-1 dtd 11-01-2024 for ₹920000/- 5. BLS-PLG(SDP sanction) 2023-24 dtd 12-01-2024 for ₹250000/-	Construction and Repair of municipal assets damaged in natural disasters	**₹ 11,01,697**	₹ 22,65,395	₹ 33,67,092	₹ 10,45,407	**₹ 23,21,685**	2022-23 & 2023-24	None	
11	GIA Property Tax	Director UD	1. Online RTGS dated 21-03-2024 CBP 132 for ₹173248	Conducting the household survey with Geo Tagging for assesing the property tax.	₹ 0	₹ 1,73,248	₹ 1,73,248	₹ 0	**₹ 1,73,248**	2023-24	None	
12	BBN fair payment	Temple Trust BBN Talai	1. Online RTGS dated 21-10-2023 CBP 104 for ₹722756	Recoupment of the special sanitation expenditure during the BBN fair.	₹ 0	₹ 7,22,756	₹ 7,22,756	₹ 7,22,756	**₹ 0**	2023-24	None	
13	MMSAGY	Director UD	1. Online RTGS dated 05-11-2023 CBP 109 for ₹8400	Providing assistance for livlihood to citizens of the town	₹ 0	₹ 8,400	₹ 8,400	₹ 8,400	**₹ 0**	2023-24	None	
14	Sewrage/ Solid Waste Management	Director UD	***	Construction & maintenance of Sewrage System in the city	**₹ 15,00,000**	₹ 0	₹ 15,00,000	₹ 0	**₹ 15,00,000**	2022-23	None	
15	13th FC Parking	Director UD	***	Special grant for construction of parking.	**₹ 29,27,003**	₹ 0	₹ 29,27,003	₹ 19,83,203	**₹ 9,43,800**	2012-13	None	
16	13th FC SWM	Director UD	***	Special grant for construction of Solid Waste Processing facility.	**₹ 39,22,852**	₹ 0	₹ 39,22,852	₹ 2,06,710	**₹ 37,16,142**	2012-13	None	
17	13th FC sewerage	Director UD	***	Special grant for construction of Sewrage line in the town.	**₹ 15,00,000**	₹ 0	₹ 15,00,000	₹ 15,00,000	**₹ 0**	2012-13	None	
18	Covid	Director UD	***	Recoupment of expenditure incurred during Covid-19 pandemic.	**₹ 50,000**	₹ 0	₹ 50,000	₹ 50,000	**₹ 0**	2020-21	None	
			Grand Total For the year 2022-23		**₹ 2,00,45,416**	**₹ 1,83,17,957**	**₹ 3,83,63,373**	**₹ 2,41,49,230**	**₹ 1,42,14,143**			₹ 0

Secretary
Nagar Panchayat TAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

Nagar Panchayat Talai, Distt Bilaspur HP

Consolidated overview of Performance in utilization of Grants -in- Aid received prior to 01-04-2023 and during 04/2023 to 03/2024

Period	Grants In Aid	Utilization during 2023-24	Un-utilized Balance as on 31-03-2024
Received prior ro 04/2023	₹ 2,00,45,416	₹ 1,20,50,131	₹ 79,95,285
Received during 2023-24	₹ 1,83,17,957	₹ 1,20,99,099	₹ 62,18,858
Total		₹ 2,41,49,230	₹ 1,42,14,143

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

Nagar Panchayat Talai, Distt Bilaspur HP

Performance of Grants in Aid on Year to Year Basis

Grants received before 04/2023 and utilized during 2023-24

Sr	Head	Opening Balance as on 01-04-2021	Utilization during 2023-24	**Closing Balance as on 31-03-2024**
1	6th State Finance Commission	₹ 11,009	₹ 11,009.00	**₹ 0**
2	CFC Tied	₹ 63,88,055	₹ 46,09,002.00	**₹ 17,79,053**
3	CFC untied	₹ 0	₹ 0.00	**₹ 0**
4	Swachh Bharat Mission/ IEC SBM	₹ 3,46,124	₹ 3,46,124.00	**₹ 0**
5	R/M ULB roads	₹ 0	₹ 0.00	**₹ 0**
6	DAY-NULM	₹ 0	₹ 0.00	**₹ 0**
7	Municipal Parks	₹ 22,98,676	₹ 22,98,676.00	**₹ 0**
8	PMAY-HFA	₹ 0	₹ 0.00	**₹ 0**
9	NDRF/SDMA	₹ 0	₹ 0.00	**₹ 0**
10	DC/SDRF/NDRF/SDP	₹ 11,01,697	₹ 10,45,407.00	**₹ 56,290**
11	GIA Property Tax	₹ 0	₹ 0.00	**₹ 0**
12	BBN fair payment	₹ 0	₹ 0.00	**₹ 0**
13	MMSAGY	₹ 0	₹ 0.00	**₹ 0**
14	Sewrage/ Solid Waste Management	₹ 15,00,000	₹ 0.00	**₹ 15,00,000**
15	13th FC Parking	₹ 29,27,003	₹ 19,83,203.00	**₹ 9,43,800**
16	13th FC SWM	₹ 39,22,852	₹ 2,06,710.00	**₹ 37,16,142**
17	13th FC sewerage	₹ 15,00,000	₹ 15,00,000.00	**₹ 0**
18	Covid	₹ 50,000	₹ 50,000.00	**₹ 0**
	Total	**₹ 2,00,45,416**	**₹ 1,20,50,131**	**₹ 79,95,285**

Nagar Panchayat Talai, Distt Bilaspur HP

Grants received during 2023-24 and utilized during 2023-24

Sr	Head	Receipt during 2021-22	Utilization during 2023-24	**Closing Balance as on 31-03-2024**
1	6th State Finance Commission	₹ 52,49,217	₹ 52,49,217	**₹ 0**
2	CFC Tied	₹ 29,12,457	₹ 0	**₹ 29,12,457**
3	CFC untied	₹ 19,34,859	₹ 19,34,859	**₹ 0**
4	Swachh Bharat Mission/ IEC SBM	₹ 8,99,319	₹ 8,99,319	**₹ 0**
5	R/M ULB roads	₹ 0	₹ 0	**₹ 0**
6	DAY-NULM	₹ 1,65,548	₹ 1,65,548	**₹ 0**
7	Municipal Parks	₹ 0	₹ 0	**₹ 0**
8	PMAY-HFA	₹ 31,19,000	₹ 31,19,000	**₹ 0**
9	NDRF/SDMA	₹ 8,67,758	₹ 0	**₹ 8,67,758**
10	DC/SDRF/NDRF/SDP	₹ 22,65,395	₹ 0	**₹ 22,65,395**
11	GIA Property Tax	₹ 1,73,248	₹ 0	**₹ 1,73,248**
12	BBN fair payment	₹ 7,22,756	₹ 7,22,756	**₹ 0**
13	MMSAGY	₹ 8,400	₹ 8,400	**₹ 0**
14	Sewrage/ Solid Waste Management	₹ 0	₹ 0	**₹ 0**
15	13th FC Parking	₹ 0	₹ 0	**₹ 0**
16	13th FC SWM	₹ 0	₹ 0	**₹ 0**
17	13th FC sewerage	₹ 0	₹ 0	**₹ 0**
18	Covid	₹ 0	₹ 0	**₹ 0**
	Total	**₹ 1,83,17,957**	**₹ 1,20,99,099**	**₹ 62,18,858**

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

O/o Secretary, Nagar Panchayat Talai, Distt. Bilaspur, H.P.

Consolidated annual Demand & Collection register of Property Tax

Ward No.	Previous Arrear	Demand for the year	Total Demand	Total Amount Received	Balance
1	₹ 4,601	₹ 1,993	₹ 6,594	₹ 621	₹ 5,973
2	₹ 4,572	₹ 2,608	₹ 7,180	₹ 893	₹ 6,287
3	₹ 4,52,969	₹ 83,719	₹ 5,36,688	₹ 1,52,156	₹ 3,84,532
4	₹ 8,05,688	₹ 2,15,420	₹ 10,21,108	₹ 1,98,081	₹ 8,23,027
5	₹ 1,82,186	₹ 1,30,677	₹ 3,12,863	₹ 46,671	₹ 2,66,192
6	₹ 10,24,627	₹ 1,36,830	₹ 11,61,457	₹ 1,08,934	₹ 10,52,523
7	₹ 59,402	₹ 11,520	₹ 70,922	₹ 25,175	₹ 45,747
TOTAL:	**₹ 25,34,045**	**₹ 5,82,767**	**₹ 31,16,812**	**₹ 5,32,531**	**₹ 25,84,281**

Note:

Due to clerical error the closing balance as on 31-03-2023 was intimated to audit for ₹2499463/- instead of the correct amount of ₹2534045/-. The same is now rectified as opening balance as on 01-04-2023 and the same may be vrified from the original record.

Secretary
Nagar Panchayat Talai
Distt. Bilaspur (H.P.)

Nagar Panchayat Talai , Tehsil Jhandutta , Distt. Bilaspur, H.P.

Statement of rent demanded, collected and pending for collection for the year 2023-24

Sr	Name of the tanent	Rate of Annual rent	Opening Balance	Demand for 2023-24	Total	Collection during 2023-24	Closing balance as on 31-03-2024
1	HPSEBL Sub-Div. Talai	₹ 3,360	₹ 6,720	₹ 3,360	₹ 10,080	₹ 3,360	**₹ 6,720**
2	Regional Manager HPMC Kangra	₹ 24,000	₹ 0	₹ 24,000	₹ 24,000	₹ 24,000	**₹ 0**
3	Sh. Birbal Singh S/o Sh. Sita RamGharwasra PO Kosrian at Maruda	₹ 8,544	₹ 28,444	₹ 8,544	₹ 36,988	₹ 10,000	**₹ 26,988**
	Total		**₹ 35,164**	**₹ 35,904**	**₹ 71,068**	**₹ 37,360**	**₹ 33,708**

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

OFFICE OF THE NAGAR PANCHAYAT TALAI, DISTT. BILASPUR, H.P.

- Statement of installation/ renewal fee, due realized and outstanding in r/o mobile towers under geographic jurisdiction of Nagar Panchayat Talai for the period of **04/2023 to 03/2024.**

S.No.	Tower Company	Outstanding as on 31.03.2023	Due for the year 2023-24	Total	Renewal realized during 2023-24	Outstanding as on 31.03.2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vodafone Essar Spacetel Ltd.	50000	0	50000	0	50000
2.	Airtel	34375	0	34375	0	34375
	Total	84375	0	84375	0	84375

- Annual demand for 2023-24 is nil due to the clause 6(G) of chapter 2 of Right of Way Policy 2021 notified by IT department Govt. of HP vide notification no. IT(F)1-1/2020 dt 9.02.2021. There is only provision of clearing all the outstanding urban development tax or any other dues payable upon the land and building applied for installation of telegraph infrastructure.

- There is no mobile tower on the Nagar Panchayat land/ property.

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

O/o Secretary, Nagar Panchayat Talai, Distt. Bilaspur, H.P.

Detail of short bringing forward the opening balance of Property Tax as on 01-04-2023

Sr. No.	Page No.	No. in Assessment Tax Register	Name & Address of Assessee	Actual Balance as on 31-03-2023	Balance brought forward as on 01-04-2023	Short forwarding of the balance
			Ward 3.			
1	64	31	Sh Sita Ram S/o Tulsi Ram	16120	14075	2045
2	64	33	Sh. Ram Kishan S/o Tulsi Ram	23552	22202	1350
3	68	89	Sh. Chhota Ram S/o Tulsi Ram	38482	34482	4000
			Ward 4.			
4	76	69(1)	Sh Sarwan Singh S/o Ganga Ram	1890	945	945
5	80	139	Sh. Dalip Singh S/o Ganga Ram	15982	15932	50
6	80	141	Sh. Gurbakhash Singh S/o Pratap Singh	29827	19827	10000
			Ward 5.			
7	90	23	Sh. Mallo Ram S/o Bhagat Ram	1328	272	1056
8	90	31	Sh. Biashan Das S/o Bhagat Ram	3291	209	3082
9	92	117	Sh. Krishan Chand & Bros S/o Vittu Ram	5601	5551	50
			Ward 6.			
10	96	11	Sh. Shayam Lal S/o Bhagat Ram	513	0	513
11	102	105	Sh. Prakash Chand S/o Jeet Ram	945	0	945
12	102	125	Sh. Yashpal S/o Durga Das	945	0	945
13	104	135	Sh. Gurdas Chand	18586	8586	10000
14	106	211	Sh. Keshav Dutt	630	0	630
15	108		Kashmiri Lal	27362	26592	770
			Ward 7.			
16	112		Smt. Kiran Devi W/o Rajinder Kumar	905	0	905
17	112		Sh Gian Chand Sharma S/o Jehari Ram	586	0	586
18	112		Sh. Manjeet Kumar S/o Birbal	540	0	540
19	112		Sh Manoj Kumar S/o Kamal Kishore Sharma	810	0	810
			Total:	**187895**	**148673**	**39222**

Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

O/o Secretary, Nagar Panchayat Talai, Distt. Bilaspur, H.P.
Statement of pending property tax for last 4 to 26 years

Sr. No.	Ward Number	No. in Assessment Tax Register	Name & Address of Assessee	Demand for the year	Balance as on 31-03-2024	Recovery pending for years
1	1	30	Smt. Bhago Devi W/o Lt. Sh. Shiv Ram Bhardwaj	176	3629	**21**
2	3	7	Sh. Subhash Chand S/o Sh. Chuni Lal	540	8660	**16**
3	3	15	Sh. Nand Lal S/o Sh. Sant Ram	810	11742	**14**
4	3	21	Sh. Pritam Chand S/o Sh. Kapuru Ram	810	14742	**18**
5	3	23	Sh. Ram Pal S/o Sh. Kapuru Ram	810	15742	**19**
6	3	33	Sh. Ram Krishan S/o Sh. Tulsi Ram	1350	24902	**18**
7	3	37	Sh. Onkar Chand S/o Sh. Babu Ram	2430	42933	**18**
8	3	39	Sh. Jai Gopal Sh. Sh. Shankar Dass	3375	32752	**10**
9	3	49	Smt. Satya Devi W/o Sh. Nikku Ram	810	4860	**6**
10	3	57	Saroj malhotra W/o Sh. Om Parkaksh Malhotra	3004	42079	**14**
11	3	59	Sh. Madan Lal S/o Sh. Amin Chand	2430	44223	**18**
12	3	69	Sh. Chuni Lal S/o Sh. Amin Chand	1890	11062	**6**
13	3	81	Sh. Nain Singh S/o Sh. Ram Dayal	1890	19062	**10**
14	3	89	Sh. Chhota Ram S/o Sh. Tulsi Ram	2160	40642	**19**
15	3	91	Smt. Keshari Devi W/o Sh. Budhi Singh	236	4882	**21**
16	3	99	Sh. Sat Pal S/o Sh. Jiwan Singh	1202	4839	**4**
17	3	179	Sh. Parkash Chand S/o Sh. Bakshi Ram	371	5239	**14**
18	3	199	Sh. Chhotu Ram S/o Sh. Bakshi Ram	405	6642	**16**
19	4	21	Sh. Ramesh Bhatia S/o Sh. T.R. Bhatia	810	4212	**5**
20	4	27	Sh. Gunja Ram S/o Sh. Sunder Ram	2025	41852	**21**
21	4	33	Sh. Ram Dass S/o Sh. Jehari Ram	2025	10852	**5**
22	4	53	Sh. Sukh Dev S/o Sh. Dina Nath	675	5950	**9**
23	4	57	Sh. Babu Ram S/o Sh. Gajan Ram	2835	14175	**5**
24	4	59	Sh. Chhotu Ram & Ishwar Dass S/o Sh. Bakshi Ram and Smt. Ram Pyari	810	16742	**21**
25	4	61	Sh. Longu Ram S/o Sh. Shiv Ram	1215	21090	**17**
26	4	63	Sh. Joginder Singh S/o Sh. Sita Ram	945	19531	**21**
27	4	65	Sh. Santokha Ram S/o Sh. Raghu	945	19531	**21**
28	4	67	Sh. Dina Nath S/o Sh. Kirpa Ram	945	5531	**6**
29	4	73	Smt. Kamla Chandel W/o Sh. Amar Nath	3375	58377	**17**
30	4	77	Sh. Onkar Chand S/o Sh. Babu Ram	1620	28622	**18**
31	4	81	Sh. Ram Krishan S/o Sh. Shri Ram	1350	15902	**12**
32	4	89	Smt. Keshari Devi W/o Sh. Budhi Singh	2160	34642	**16**
33	4	95	Sh. Desh Raj S/o Sh. Kanshi Ram	810	10220	**13**
34	4	97	Smt. Nirmla Devi W/o Sh. Roshan Lal & Smt. Sheela Devi W/o Hans raj	810	8910	**11**
35	4	99	Sh. Tulsu Ram S/o Sh. Laxman Dass	810	11742	**14**
36	4	105	Smt. Kamla Devi W/o Sh. Amba Dutt	810	15742	**19**
37	4	107	Sh. Dev Raj S/o Sh. Garka Ram	540	3780	**7**
38	4	109	Sh. Desh Raj S/o Sh. Garka Ram	540	3780	**7**
39	4	111	Sh. Sita Ram S/o Sh. Birbal	2160	38481	**18**
40	4	113	Sh. Onkar Chand S/o Sh. Babu Ram	945	16696	**18**
41	4	115	Sh. Ashok Kumar & Brothers S/o Sh. Nikku Ram	945	15531	**16**
42	4	129	Sh. Piare Lal S/o Sh. Babu Ram	2835	47057	**17**
43	4	133	Sh. Roop Lal S/o Sh.	1890	38062	**20**

44	4	137	Sh. Narinder Kumar S/o Sh. Durga Dass	945	9731	**10**
45	4	139	Sh. Dalip Singh S/o Sh. Ganga Ram	810	16792	**21**
46	4	141	Sh. Gurbax Singh S/o Sh.	2025	31852	**16**
47	4	143	Sh. Moti Ram S/o Sh. Shiv Ram	810	9742	**12**
48	4	147	Sh. Dev Raj S/o Sh. Paras Ram	1485	30692	**21**
49	4	153	Sh. Swaran Singh S/o Sh. Anirudh Singh	675	7950	**12**
50	4	155	Sh. Rajender Singh S/o Sh. Anirudh Singh	675	5375	**8**
51	4	169	Sh. Sunka Ram S/o Sh. Brij Lal	540	2700	**5**
52	4	171	Smt. Nirmla Devi W/o Sh. Yashwant Singh	540	11160	**21**
53	4	173	Sh. Gurbax Singh S/o Sh. Partap Singh	1350	22902	**17**
54	4	177	Sh. Roop Lal S/o Sh. Nikku Ram	810	9490	**12**
55	4	179	Sh. Ram Krishan S/o Sh. Shalig Ram	405	10620	**26**
56	4	181	Sh. Roop Lal S/o Sh. Nikku Ram	810	3242	**4**
57	4	183	Sh. Ram Krishan S/o Sh. Shalig Ram	405	3371	**8**
58	4	195	Sh. Parsotam Lal S/o Sh. Sadhu Ram	47	769	**16**
59	4	211	Smt. Vimla Devi W/o Sh. Malkiat Singh	196	3743	**19**
60	4		Sh. Kaka Ram S/o Sh. Sohan Lal	1350	22238	**16**
61	5	1	Sh. Nikku Ram S/o Sh. Shayama Ram	2700	47102	**17**
62	5	17	Sh. Kishori Lal S/o Sh. Krishnu Ram	830	17205	**21**
63	5	23	Sh. Mahlo Ram S/o Sh. Bhagat Ram	68	1396	**21**
64	5	31	Sh. Bishan Dass S/o Sh. Bhagat	209	3500	**17**
65	5	99	The Secretary, Co.-op. Society Talai	810	4050	**5**
66	5	117	Sh. Krishan Chand& Brothers S/o Sh. Viptu Ram	439	2540	**6**
67	5	121	Sh. Madan Lal S/o Sh. Durga Dass	405	6913	**17**
68	5	125	Sh. Gurdas Singh S/o Sh. Sant Ram	1620	32982	**20**
69	5		Sh. Jiwan Singh S/o Sh. Rajender Parsad	3375	37125	**11**
70	5		Smt. Mridula Chandel W/o Ashwani Kumar	5940	41580	**7**
71	6	1	Sh. Jagdish Chand S/o Sh. Roshan Lal	2025	13175	**7**
72	6	3	Sh. Bal Krishan S/o Sh. Suhru Ram	810	8542	**11**
73	6	7	Sh. Sher Singh S/o Sh. Runia Ram	1620	27010	**17**
74	6	9	Sh. Ishwer Dass S/o Sh. Runia Ram	1620	33282	**21**
75	6	17	Sh. Himal & Bros. S/o Sh. Shiv Ram	945	17390	**18**
76	6	23	Sh. Lalita Parsad S/o Sh.	810	16742	**21**
77	6	29	Sh. Amrik Chand S/o Sh. Beli Ram	675	5950	**9**
78	6	39	Sh. Desh Raj & Sh. Krishan Chand S/o Sh. Dhian Chand	826	17076	**21**
79	6	43	Sh. Ramesh Chand S/o Sh. Pohlo Ram	2025	41352	**20**
80	6	47	Sh. Pawan Kumar S/o Sh. Shyam Lal	405	8371	**21**
81	6	49	Sh. Kamal Dev S/o Sh. Shyam Lal	405	8371	**21**
82	6	51	Sh. Pawan Kumar & Kamal Dev S/o Sh. Shyam Lal	405	8371	**21**
83	6	53	Sh. Birbal Ram S/o Sh. Sunder Ram	2025	31652	**16**
84	6	55	Sh. Kamlesh Kumar S/o Sh. Nikku Ram	675	8230	**12**
85	6	57	Sh. Yoginder Singh S/o Sh. Nikku Ram	675	13950	**21**
86	6	65	Smt. Bimla Devi D/o Sh. Ajudhya Lal	2700	11802	**4**
87	6	67	Smt. Sandhya Devi W/o Sh. Ajudhya Lal	432	7926	**18**
88	6	89	Sh. Rajinder Kumar S/o Sh. Nikku Ram	533	11018	**21**
89	6	91	Sh. Jagdish Chand S/o Sh. Roshan Lal	810	12742	**16**
90	6	95	Smt. Leela Devi W/o Sh. Dharam Singh	945	18531	**20**
91	6	101	Sh. Krishan Kumar S/o Sh. Roop Lal	945	9031	**10**
92	6	1,07,109	Sh. Santosh Kumar S/o Sh. Shiv Ram (945+999)	1944	14173	**7**
93	6	119	Sh. Balwant Singh S/o Sh. Bhagat Ram	810	16742	**21**
94	6	121	The Secretary Co-op. Society Talai	1890	9450	**5**

95	6	135	Sh. Gurdas Chand S/o Sh.	945	19531	**21**
96	6	143	Sh. Banke Lal S/o Sh. Krishan Dyal	405	3641	**9**
97	6	155	Smt. Krishani Devi W/o Sh. Krishan Chand	8640	77663	**9**
98	6	159	Sh. Nanaku Ram S/o Sh. Tulsi Ram	1620	33482	**21**
99	6	161	Sh. Ramesh Chand S/o Sh. Pohlo Ram	3375	67252	**20**
100	6	163	Sh. Chhota Ram S/o Sh. Tulsi Ram	1350	24902	**18**
101	6	165	Sh. Railu Ram S/o Sh. Moti Ram	675	12950	**19**
102	6	167	Sh. Nikku Ram S/o Sh. Sunder Ram	142	2932	**21**
103	6	177	Sh. Ramesh Chand and Rattan Chand S/o Sh. Pohlo Ram	480	8920	**19**
104	6	193	Sh. Harbans Lal S/o Sh. Nanak Chand	621	12637	**20**
105	6	203	Smt. Nirmla Devi W/o Sh. Shiv Dyal	1175	8225	**7**
106	6		Sh. Kirpa Nath	10125	209259	**21**
107	6		Sh. Lal Chand S/o Sh.	3375	37125	**11**
108	6		Sh. Rattan Lal S/o Sh. Bhagwan Dass	3341	26751	**8**
109	6		Sh. Kashmiri Lal S/o Sh.	1350	28712	**21**
110	7	53	Sh. Vinod Kumar S/o Sh. Jagat Ram	797	5579	**7**
111	7	71	Sh. Jodh Singh S/o Sh. Gullu Ram	1350	8550	**6**
112	7	123	Sh. Surender Kumar S/o SH. Bhikha Alias Likha	945	5670	**6**
			Total		**2207064**	

Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

O/o Secretary, Nagar Panchayat Talai, Distt. Bilaspur, H.P.

Statement of the pending property tax for dismateled buildings as on 31-03-2024

Sr. No.	Ward No.	No. in Assessment Tax Register	Name & Address of Assessee	Previous Arrear	Demand for the year	Balance as on 31-03-2024	Remarks as recorded in property tax Register	Remarks recorded at page of D&C Register
1	6	35	Smt. Bimla Devi S/o Sh. Bhagat Ram	22242	0	22242	Building Dismantled in the year 2021-22	43
2	6	37	Sh. Bal Krishan S/o Sh. Bhagat Ram	13979	0	13979	Building Dismantled in the year 2021-22	43
3	6	211	Sh. Keshav Dutt S/o Sh. Bhagat Ram	630	0	630	Building Dismantled in the year 2021-22	51
4	7		Sh. Nanak Chand S/o Sh. Purkh Chand	15932	0	15932	Building Dismantled in the year 2021-22	111
			Total	**52783**	**0**	**52783**		

दिनेश
Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

संख्याः एन0पी0टी0/ऑडिट/SWM/ 2024– 946
कार्यालय नगर परिषद बिलासपुर (हि0प्र0)

दिनांकः तलाई–174030 26, नवम्बर,2024

प्रेषित,

सहायक नियन्त्रक,
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला हि0प्र0 171009
प्रवास शिविर नगर पंचायत तलाई बिलासपुर हि0प्र0

विषयः नगर पंचायत तलाई द्वारा वर्ष 2023–24 में नगर में उत्पन्न हुये बायेडीग्रेडेबल व नॉन बायोडीग्रेडेबल कचरे तथा सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना में की गई खरीद का दैनिक व मासिक विवरण व अभिलेख प्रस्तुत करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या सहा. नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग –शिमला/2024/–300 दिनांक 25–11–2024 द्वारा मांगा गया विवरण निम्न प्रकार से है:–

माह	उत्पन्न हुये बायोडीग्रेडेबल कचरे की मात्रा	निस्तारण किये गये कचरे की मात्रा	निस्तारण पर किया गया व्यय	निस्तारण हेतु अपनाई गई कार्य प्रणाली	टिप्पणी
अप्रैल–2023	36.00 टन	36.00 टन	818010.4	जैविक अपशिष्ट कनवर्टर मशीन	
मई–2023	37.20 टन	37.20 टन	834516.4	..उपरोक्त..	
जून–2023	36.00 टन	36.00 टन	515846.4	..उपरोक्त..	
जुलाई–2023	37.20 टन	37.20 टन	63763.6	..उपरोक्त..	
अगस्त–2023	37.20 टन	37.20 टन	363335.2	..उपरोक्त..	
सितम्बर–2023	36.00 टन	36.00 टन	42000.8	..उपरोक्त..	
अक्तूबर–2023	37.20 टन	37.20 टन	277308.0	..उपरोक्त..	
नवम्बर–2023	36.00 टन	36.00 टन	142182.4	..उपरोक्त..	
दिसम्बर–2023	37.20 टन	37.20 टन	150665.6	..उपरोक्त..	
जनवरी–2024	37.20 टन	37.20 टन	188109.6	..उपरोक्त..	
फरवरी–2024	34.80 टन	34.80 टन	163487.2	..उपरोक्त..	
मार्च–2024	37.20 टन	37.20 टन	54800.0	..उपरोक्त..	
कुल	**439.20 टन**	**439.20 टन**	**3,61,4,046.00**		

माह	उत्पन्न हुये नॉन बायोडीग्रेडेबल कचरे की मात्रा	निस्तारण किये गये कचरे की मात्रा	निस्तारण पर किया गया व्यय	निस्तारण हेतु अपनाई गई कार्य प्रणाली	टिप्पणी
अप्रैल–2023	17.280 टन	25.080 टन	1227016.00	नॉन बायोडीग्रेडेबल कचरे को सीमेंट प्लांट एसीसी बरमाणा को आरडीएफ के रूप में भेजा गया है।	एसीसी सीमेंट प्लांट बरमाणा और निदेशालय शहरी विकास विभाग शिमला हि0प्र0 के बीच
मई–2023	5.000 टन	5.000 टन	1251775.00	..उपरोक्त..	

जून–2023	11.810 टन	11.810 टन	773769.60	..उपरोक्त..	हुये समझौते के अनुसार।
जुलाई–2023	0.000 टन	0.000 टन	95645.40	..उपरोक्त..	
अगस्त–2023	0.000 टन	0.000 टन	545032.80	..उपरोक्त..	
सितम्बर–2023	0.000 टन	0.000 टन	63001.20	..उपरोक्त..	
अक्तूबर–2023	11.570 टन	11.570 टन	415962.00	..उपरोक्त..	
नवम्बर–2023	0.000 टन	0.000 टन	213273.60	..उपरोक्त..	
दिसम्बर–2023	2.800 टन	2.800 टन	225998.40	..उपरोक्त..	
जनवरी–2024	0.000 टन	0.000 टन	282164.40	..उपरोक्त..	
फरवरी–2024	3.900 टन	3.900 टन	245230.80	..उपरोक्त..	
मार्च–2024	8.900 टन	8.900 टन	82200.00	..उपरोक्त..	
कुल	**61.260 टन**	**61.260 टन**	**5,42,1,068.00**		

माह	सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना में कचरा इकट्ठा करने वालों से खरीदी गई मात्रा	सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना में सीधे नागरिकों से खरीदी गई मात्रा	निस्तारण पर किया गया व्यय	निदेशक शहरी विकास विभाग से की गई प्रतिपूर्ति	टिप्पणी
अप्रैल–2023	587.700 Kg	587.700 Kg	0.00	0.00	.....
मई–2023	107.500 Kg	107.500 Kg	0.00	0.00	.....
जून–2023	3.000 Kg	3.000 Kg	0.00	0.00	.....
जुलाई–2023	0.000 Kg	0.000 Kg	0.00	0.00	.....
अगस्त–2023	0.000 Kg	0.000 Kg	0.00	0.00	.....
सितम्बर–2023	3.000 Kg	3.000 Kg	0.00	0.00	.....
अक्तूबर–2023	0.000 Kg	0.000 Kg	0.00	0.00	.....
नवम्बर–2023	0.000 Kg	0.000 Kg	0.00	0.00	.....
दिसम्बर–2023	0.000 Kg	0.000 Kg	0.00	0.00	.....
जनवरी–2024	0.000 Kg	0.000 Kg	0.00	0.00	.....
फरवरी–2024	36.950 Kg	36.950 Kg	0.00	0.00	.....
मार्च–2024	55.000 Kg	55.000 Kg	0.00	0.00	.....
कुल	**793.150 Kg**	**793.150 Kg**	**0.00**	**0.00**	.....

सचिव,
नगर पंचायत तलाई ,
जिला बिलासपुर हि0प्र0

Door To Door Garbage Collection Details (2023-24)

Household

Sr.No.	Ward No.	Total HouseHold	House hold covered under D2D	Rate	Month	Actual Collection
1	Ward No.1	61	34	30	12	12960
2	Ward No.2	52	36	30	12	10980
3	Ward No.3	58	37	30	12	13320
4	Ward No.4	200	190	60	12	136800
5	Ward No.5	73	46	30	12	16560
6	Ward No.6	54	33	30	12	11880
7	Ward No.7	65	33	30	12	11880
		563	409	Total		**214380**

Hotel/Shops /Sarai

2	Hotel & Restaurant	15	15	100	12	18000
3	Sarai	16	6	500	12	36000
			11	500	3	16500
		31	32	Total		**70500**
				Grand Total		**284880.00**

Langer Sanitation/Sarai Sanitation fee -412250/-

Secretary
Nagar Panchayat TALAI
Distt. Bilaspur (H.P.)

अनुच्छेद 16.1 में सन्दर्भित	परिशिष्ट "21"

Statement of Excess Payment on account of higher rate of Dearness Releif @162% instead of 159% w.e.f. 01-01-2022 to 31-10-2024 for 34 Months by Nagar Panchayat Talai, Distt. Bilaspur H.P.

		Drawn					Due						
Name of the pensioner	Post Last held	BP	DA @ 162%	IR @ 21%	Pension Allowance	Total	BP	DA @ 159%	IR @ 21%	Pension Allowance	Total	Excess Payment per month	**Total Excess Payment w.e.f. 01-01-2022 to 31-10-2024 for 34 Months**
Mehar Singh	Clerk	8745	14167	1837	438	**25187**	8745	13905	1837	438	**24925**	262	**8908**
O P Sharma	Secretary	13530	21919	2842		**38291**	13530	21513	2842		**37885**	406	**13804**
Kuldeep Chand	Safai Karmchari	6280	10174	1319		**17773**	6280	9986	1319		**17585**	188	**6392**
Suresh Kumar	Peon	7275	11786	1528		**20589**	7275	11568	1528		**20371**	218	**7412**
Total		**35830**	**58046**	**7526**	**438**	**101840**	**35830**	**56972**	**7526**	**438**	**100766**		**36516**

Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

-77-

परिशिष्ट " 22 "

अनुच्छेद 16.2 में सन्दर्भित

Statement of Excess transfer of Pension & Gratuity Contribution by Nagar Panchayat Talai, Distt. Bilaspur during the period 10/2022 to 10/2024

PART-A

Excess transfer of 12 % Pension Contribution w.e.f. 1-10-2022 to 31-10-2024 as per the Cadre Strength

Sr	Designation	Period	No. of Posts	Contribution Actully transferred			Contribution required to be			Excess Transfer (7-10)
				Maximum of the pay scale taken for transfer of contribution	Level of Pay Matrix considered as Level of the post	Contribution actually transfered Pension @ 12% & Gratuity @ 5%	Maximum of the actual pay scale of the post as per Pay Matrix 2022	Level of Pay Matrix considered as Level of the post	Contribution actually transfered Pension @ 12% & Gratuity @ 5%	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Junior Engineer	01-10-2022 to 31-10-2024 (25 Months)	1	136000	12	408000	122700	11	368100	39900
2	Clerk	01-10-2022 to 31-10-2024 (25 Months)	1	112800	9	338400	64000	3	192000	146400
	Total Amount					**746400**			**560100**	**186300**

PART-B

Excess transfer of 5 % Gratuity Contribution w.e.f. 1-10-2022 to 31-10-2024 as per the Cadre Strength

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Junior Engineer	01-10-2022 to 31-10-2024 (25 Months)	1	136000	12	170000	122700	11	153375	16625
2	Clerk	01-10-2022 to 31-10-2024 (25 Months)	1	112800	9	141000	64000	3	80000	61000
	Total Amount					**311000**			**233375**	**77625**

Total for excess Pension & Gratuity contribution (Part A + Part B) **263925**

Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

अनुच्छेद 17.3 में सन्दर्भित

परिशिष्ट "23"

-79-

O/o The Secretary, Nagar Panchayat Talai, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur, H.P., Distt. Bilaspur, H.P.

Detail of works which were executed with delay in time allotment but no penalty was imposed.

S.No.	V No. Date	Name of work	Name of Contractor	Estimated cost	Awarded amount	Gross Amount	MB Pg	Date of award	Time Allowed	Due date of compoletion	Actual Date of completion	Delay in days	Penalty to be imposed @ 1% per day subject to Max. 10% of awarded amount	Penalty imposed	Balance recovery of the penalty
1	59 5.7.2023	C/o brick boundary wall for children park near rain shelter in W6.	Reena Devi	252220	301005	**15848**	24 14-15	22.3.2023	3 months	05-07-2023	28.12.2023	176	30100	0	30100
2	89 1.8.2023	C/o boundary wall with corrugated GS sheet at SWM site of NP Talai	Ashwani Kumar	626519	539661	**450312**	23 75-78	15.2.2023	1 month	02-04-2023	30.6.2023	89	53966	0	53966
3	138 18.10.2023	C/o path & P/L pavers from Gharat towards h/o Smt. Shankari Devi in W No.4	Nathu Ram	408814	295333	**286692**	24 52-56	7.9.2022	3 months	22-12-2023	27.3.2023	96	29533	0	29533
4	160 22.10.2023	Repair of path near Liquor shop on Talai Barsar road in W No.4	Pankaj Kumar	48488	49812	**38138**	23 84-86	6.3.2023	1 month	21-04-2023	24.6.2023	64	4981	0	4981
5	164 08.11.2023	Const. of Retaining / Breast wall at SWM site of Nagar Panchayat Talai	SKS Builders	974265	730698	**729793**	24 67-73	15.2.2023	2 months	02-05-2023	20.10.2023	171	73070	0	73070
7	241 7.3.2024	C/o drain with PVC pipe from h/o Sh. Roop Lal for disposal of waste water W No.2	Nathu Ram GC	59362	60372	**54252**	25 77-81	7.10.23	2 months	22-12-2023	20.2.2024	60	6037	0	6037
				2369668	**1976881**	**1575035**							**197687**		**197687**

दिनेश

Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

परिशिष्ट "24"

अनुच्छेद 17.4 में सन्दर्भित

O/o The Secretary, Nagar Panchayat Talai, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur, H.P., Distt. Bilaspur, H.P.

Detail of royalty deducted from works bills but not deposited with Himachal Pradesh Mining Department.

S.No.	V No. Date	Name of work	Name of Contractor	Gross Amount	Royalty Deducted	MB Pg
1	31 16.5.2023	Repair & Beautification of well near Mahila Mandal W 5.	Raj Kumar	**59374**	1259	24 45-50
2	32 16.5.2023	P/F U/G PVC pipe for drainage in chowk near h/o Sh. Chaman Lal Soni, Sh. Shahsi Pal Sharma etc. in W5	Dev Nidhi	**31942**	351	24 41-44
3	53 22.6.2023	C/o toilet for handicapped person in W5	Chaman Lal Sharma	**45410**	333	23 64-66
4	82 24.7.2023	R/o path & P/L paver blocks from main chowk towards Hansraj house in W5.	Ajay Kumar	**86950**	320	19 100
5	84 24.7.2023	P/L PVC pipe from h/o Sh. Rikhi Ram Sohan Lal towards main drain in W2	Ashok Kumar	**9633**	108	18 101-102
6	138 18.10.2023	C/o path & P/L pavers from Gharat towards h/o Smt. Shankari Devi in W No.4	Nathu Ram	**286692**	5622	24 52-56
				520001	**7993**	

Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

परिशिष्ट "25"

अनुच्छेद 17.5 में सन्दर्भित

O/o The Secretary, Nagar Panchayat Talai, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur, H.P., Distt. Bilaspur, H.P.

Details of development works test checked during audit for the period 04/2023 to 03/2024 in case of which revised expenditure sanction has not been obtained

S.No.	V No. Date	Name of work	Name of Contractor	Estimated cost	Gross Amount	Excess Expenditure	%age of excess expenditure	MB Pg
1	82 24.7.2023	R/o path & P/L paver blocks from main chowk towards Hansraj house in W5.	Ajay Kumar	75490	**86950**	**11460**	**15.18%**	19 100
2	169 08.11.2023	P/L paver blocks from Gurunajhari toilet towards Suresh house in W4.	Dev Nidhi	449730	**525745**	**76015**	**16.90%**	24 85-94
				525220	**612695**	**87475**		

Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

अनुच्छेद 17.6 में सन्दर्भित

परिशिष्ट "26"

O/o The Secretary, Nagar Panchayat Talai, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur, H.P., Distt. Bilaspur, H.P.

Details of DEVIATION in execution of development works test checked during audit for the period 04/2023 to 03/2024

S.No.	V No. Date	Name of work	Name of Contractor	Awarded amount	Gross Amount	Deviation amount	Deviation %age	MB Pg
1	31 16.5.2023	Repair & Beautification of well near Mahila Mandal W 5.	Raj Kumar	68899	59374	9525	13.82%	24 45-50
2	32 16.5.2023	P/F U/G PVC pipe for drainage in chowk near h/o Sh. Chaman Lal Soni, Sh. Shahsi Pal Sharma	Dev Nidhi	39334	31942	7392	18.79%	24 41-44
3	53 22.6.2023	C/o toilet for handicapped person in W5	Chaman Lal Sharma	55049	45410	9639	17.51%	23 64-66
4	59 5.7.2023	C/o brick boundary wall for children park near rain shelter in W6.	Reena Devi	301005	15848	285157	94.73%	24 14-15
5	82 24.7.2023	R/o path & P/L paver blocks from main chowk towards Hansraj house in W5.	Ajay Kumar	74442	86950	-12508	-16.80%	19 100
6	83 24.7.2023	C/o U shape drain from h/o Devraj towards public toilets I W6	Pankaj Kumar	196779	134427	62352	31.69%	23 69-75
7	84 24.7.2023	P/L PVC pipe from h/o Sh. Rikhi Ram Sohan Lal towards main drain in W2	Ashok Kumar	24655	9633	15022	60.93%	18 101-102
8	86 31.7.2023	C/o edging from h/o Sh. Ravi Dutt towards Jamun tree near police station in W3	Raj Kumar	39288	37096	2192	5.58%	23 78-79
9	89 1.8.2023	C/o boundary wall with corrugated GS sheet at SWM site of NP Talai	Ashwani Kumar	539661	450312	89349	16.56%	23 75-78
10	138 18.10.202	C/o path & P/L pavers from Gharat towards h/o Smt. Shankari Devi in W No.4	Nathu Ram	295333	286692	8641	2.93%	24 52-56
11	158 22.10.202	Repair & maintenece of road from road towards GPS Gehra in W No.1	Chaman Lal	399800	395862	3938	0.98%	23 92-96
12	159 22.10.202	C/o road/ path from,road towrdas h/o Ramakant Sharma, Vidya Sagar & others in W	Dev Nidhi	403641	403736	-95	-0.02%	23 87-91
13	160 22.10.202	Repair of path near Liquor shop on Talai Barsar road in W No.4	Pankaj Kumar	49812	38138	11674	23.44%	23 84-86
14	164 08.11.202	Const. of Retaining / Breast wall at SWM site of Nagar Panchayat Talai	SKS Builders	730698	729793	905	0.12%	24 67-73
15	165 08.11.202	C/o R/wall and drain along the road/path from road towards h/o Ramakant Vidya Sagar &	Jitender Kumar	247773	234647	13126	5.30%	25 1-7
16	166 08.11.202	R/M of path and drain from h/o Dandu Ram towards Dugh khad in W3	Rajesh Kumar	295202	285190	10012	3.39%	25 8-18
17	167 08.11.202	C/o underground drain in W3.	Chaman Lal Sharma	216873	203126	13747	6.34%	24 80-84
18	168 08.11.202	R/M of path & stairs from Dugh Khad towards Harijan Basti near h/o Raju Sarwan etc.in W1	Raj Kumar	424173	402176	21997	5.19%	24 73-79
19	169 08.11.202	P/L paver blocks from Gurunajhari toilet towards Suresh house in W4.	Dev Nidhi	486698	525745	-39047	-8.02%	24 85-94
20	204 16.1.2024	Renovation of bawari in Sew W No.7	Raj Kumar GC	47475	44781	2694	5.67%	25 24-27
21	205 16.1.2024	Renovation of bawari in W No.6 Talai near children park	Pankaj Kumar	127464	99658	27806	21.81%	25 28-36
22	214 31.01.202	P/L cement concrete pavement for parking way near Dugh Khad in W6 & 7, Talai	Suresh Kumar	666000	665130	870	0.13%	25 37-42
23	215 31.01.202	P/L cement concrete pavement for parking way near public toilet in W No. 4 & 6, Talai	Poonam Rana	661118	656261	4857	0.73%	25 43-48
24	236 17.02.202	R/M of Bauri Ward No.1 near GPS Gehra	Chaman Lal	131454	119321	12133	9.23%	25 54-64
25	237 17.02.202	Development of park in Ward No.6	Dev Nidhi	504262	497427	6835	1.36%	25 55-77
26	241 7.3.2024	C/o drain with PVC pipe from h/o Sh. Roop Lal for disposal of waste water W No.2	Nathu Ram GC	60372	54252	6120	10.14%	25 77-81
27	250 30.3.2024	P/L cement concrete pavement for parking way near path towards Sariyali khad in W4	Suresh Kumar	673393	661812	11581	1.72%	25 48-54

Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099